79

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति
(2022-2023)

(सत्रहवीं लोक सभा)

उनासीवां प्रतिवेदन

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा

09/02/2023 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
फरवरी, 2023/ माघ, 1944 (शक)

विषय सूची

		पृष्ठ
	सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2022-2023) की संरचना	(iii)
	प्राक्कथन	(iv)

प्रतिवेदन

I.	प्रस्तावना	1-6
II.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लंबित आश्वासनों की समीक्षा	7-17
III.	कार्यान्वयन प्रतिवेदन	17
I.	संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार में संसदीय प्रक्रिया की नियम पुस्तिका से उद्धरण	18-22
II.	'समान अवसर आयोग' विषय संबंधी दिनांक 02.07.2009 का अता.प्र.सं.168	23
III.	'समान अवसर आयोग' विषय संबंधी दिनांक 23.11.2009 का अता.प्र.सं.533	24
IV.	'समान अवसर आयोग' विषय संबंधी दिनांक 17.12.2009 का अता.प्र.सं.4559	25
V.	'समान अवसर आयोग का गठन' विषय संबंधी दिनांक 02.08.2010 का अता.प्र.सं.1196	26
VI.	'समान अवसर आयोग' विषय संबंधी दिनांक 12.08.2010 का अता.प्र.सं.3017	27
VII.	'समान अवसर आयोग' विषय संबंधी दिनांक 09.12.2010 का अता.प्र.सं.5018	28
VIII.	'समान अवसर संबंधी आयोग का गठन' विषय संबंधी दिनांक 18.08.2011 का अता.प्र.सं.2764	29
IX.	'समान अवसर आयोग की स्थापना' विषय संबंधी दिनांक 17.05.2012 का अता.प्र.सं.6864	30
X.	'नए आयोगों की नियुक्ति' विषय संबंधी दिनांक 06.09.2012 का अता.प्र.सं.4161	31
XI.	'सच्चर समिति की सिफारिशों का क्रियान्वयन' विषय संबंधी दिनांक 06.09.2012 का अता.प्र.सं.4348	32-38
XII.	'समान अवसर आयोग की स्थापना' विषय संबंधी दिनांक 07.03.2013 का अता.प्र.सं.1653	39

XIII.	'अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव' विषय संबंधी दिनांक 21.03.2013 का ता.प्र.सं.346	40-41
XIV.	'ईओसी की स्थापना' विषय संबंधी दिनांक 29.08.2013 का अता.प्र.सं.3093	42
XV.	'समान अवसर संबंधी आयोग की स्थापना' विषय संबंधी दिनांक 05.12.2013 का अता.प्र.सं.220	43-44
XVI.	'वंचित व्यक्ति' विषय संबंधी दिनांक 12.12.2013 का अता.प्र.सं.1170	45
XVII.	'समान अवसर आयोग' विषय संबंधी दिनांक 25.02.2015 का अता.प्र.सं.440	46
XVIII.	'सच्चर समिति' विषय संबंधी दिनांक 04.04.2018 का ता.प्र.सं 535	47-48
XIX.	'अल्पसंख्यक समुदायों हेतु शिक्षा योजनाएं' विषय संबंधी दिनांक 17.12.2014 का अता.प्र.सं.4093	49
XX.	'स्टार्ट अप इंडिया स्टैंड अप इंडिया' विषय संबंधी दिनांक 27.04.2016 का ता.प्र.सं.45 (श्री असादुद्दीन ओवैसी, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न)	50-59
XXI.	'वक्फ बोर्ड भूमि का अवैध अंतरण' विषय संबंधी दिनांक 19.12.2018 का अता.प्र.सं.1468	60-62
XXII.	'अल्पसंख्यकों हेतु विश्वविद्यालय' विषय संबंधी दिनांक 06.02.2019 का अता.प्र.सं.589	63
XXIII.	'अल्पसंख्यक विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति' विषय संबंधी दिनांक 15.03.2021 का अता.प्र.सं.3109	64-65
XXIV.	'राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग' विषय संबंधी दिनांक 29.07.2021 का अता.प्र.सं.1645	66-67
XXV.	सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-2022) की 04 जुलाई, 2022 की बैठक का कार्यवाही सारांश।	68-72
XXVI.	सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-2022) की 07 फरवरी, 2023 की बैठक का कार्यवाही सारांश।	73-74
XXVII.	सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-2022) की संरचना।	75

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति* (2022-2023)

की संरचना

श्री राजेन्द्र अग्रवाल - सभापति

सदस्य

2. श्री निहाल चन्द चौहान
3. श्री गौरव गोगोई
4. श्री रमेश चन्द्र कौशिक
5. श्री कौशलेन्द्र कुमार
6. श्री खगेन मुर्मु
7. श्री अशोक महादेवराव नेते
8. श्री संतोष पान्डेय
9. श्री एम.के. राघवन
10. प्रो. सौगत राय
11. श्री चंद्र शेखर साहू
12. श्री इंद्रा हांग सुब्बा
13. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले
14. रिक्त
15. रिक्त

सचिवालय

1. श्री जे.एम. बैसाख - संयुक्त सचिव
2. डॉ सागरिका दास - निदेशक
3. श्री एम. सी. गुप्ता - उप सचिव
4. श्रीमती विनीता सचदेव - अवर सचिव

---

*समिति का गठन 09 अक्तूबर, 2022 से किया गया है, देखिए दिनांक 09 नवम्बर, 2022 के लोक सभा समाचार भाग - दो का पैरा सं. 5363

प्राक्कथन

मैं, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2022-2023) का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का यह 79वां प्रतिवेदन (17वीं लोकसभा) प्रस्तुत करता हूँ।

2. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-2022) ने 04 जुलाई, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में लंबित आश्वासनों के संबंध में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया।

3. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2022-2023) ने 07 फरवरी, 2023 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

4. समिति की उपर्युक्त बैठकों के कार्यवाही सारांश इस प्रतिवेदन का भाग हैं।

5. संदर्भ और सुविधा के लिए समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों को प्रतिवेदन में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली;
07 फरवरी, 2023
18 माघ, 1944 (शक)

राजेन्द्र अग्रवाल,
सभापति,
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

प्रतिवेदन

एक प्रस्तावना

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति मंत्रियों द्वारा सभा में समय-समय पर दिए गए आश्वासनों, वचनों, किए गए वादों आदि की जांच करती है और इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है कि ऐसे आश्वासनों, वादों, वचनों आदि को किस सीमा तक कार्यान्वित किया गया है। सभा में कोई आश्वासन दिए जाने के पश्चात् उसे तीन महीने के अंदर पूरा करना अपेक्षित होता है। भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग द्वारा आश्वासन को निर्धारित तीन महीने की अवधि के अंदर पूरा करने में असमर्थ रहने की स्थिति में समय-विस्तार की मांग करना अपेक्षित है। जहां मंत्रालय/विभाग किसी आश्वासन को कार्यान्वित करने में असमर्थ हो, वहां उन्हें आश्वासन को छोड़ने के लिए समिति से अनुरोध करना होता है। समिति ऐसे अनुरोधों पर विचार करती है और यदि वह इस बात से संतुष्ट होती है कि बताए गए आधार तर्कसंगत हैं, तो आश्वासन को छोड़ने की स्वीकृति देती है। समिति इस बात की भी जांच करती है कि क्या आश्वासन का कार्यान्वयन उस प्रयोजनार्थ आवश्यक न्यूनतम समय के अंदर हुआ है अथवा नहीं तथा आश्वासन को किस सीमा तक पूरा किया गया है ।

2. भारत सरकार, संसदीय कार्य मंत्रालय में संसदीय प्रक्रियाओं की नियमावली के सार तत्वों में आश्वासन की परिभाषा, उसे पूरा करने की समय सीमा, इसे छोड़ने/हटाने और विस्तार करने की समय सीमा, पूरा करने की प्रक्रिया आदि के अलावा आश्वासनों के रजिस्टर के रख-रखाव और आश्वासनों के कार्यान्वयन में विलंब को कम करने के लिए आवधिक समीक्षाओं के सार परिशिष्ट-एक में पुन: प्रस्तुत किए गए हैं।

3. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2009-2010) ने लंबित आश्वासनों की समीक्षा करने, लंबित होने के कारणों की जांच करने, आश्वासनों पर कार्रवाई करने हेतु मंत्रालयों/विभागों में निर्धारित प्रणाली का विश्लेषण करने के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों को चरणबद्ध तरीके से बुलाने का नीतिगत

निर्णय लिया। समिति ने सरकार द्वारा कार्यान्वित किये गये आश्वासनों की गुणवत्ता को भी देखने का निर्णय लिया ।

4. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2014-15) ने भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों को चरणबद्ध तरीके से बुलाने की सुस्थापित और समय की कसौटी पर खरी उतरी प्रक्रिया का पालन करने और लंबित आश्वासनों की समीक्षा करने का निर्णय लिया। समिति ने इसके अतिरिक्त संसदीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों को भी बुलाने का निर्णय लिया क्योंकि सभी आश्वासनों का कार्यान्वयन उनके माध्यम से किया जाता है।

5. उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-2022) ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों के कार्यान्वयन में विलम्ब के संबंध में स्पष्टीकरण देने हेतु अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों को 04 जुलाई, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में बुलाया। समिति ने निम्नलिखित 23 आश्वासनों (परिशिष्ट दो से चौबीस) की विस्तृत जांच की:-

सारणी 1

क्रम सं.	ता.प्र.सं. /अता.प्र.सं. दिनांक	विषय
1	अता.प्र.सं. 168 दिनांक 02.07.2009	समान अवसर आयोग (परिशिष्ट-II)
2	अता.प्र.सं. 533 दिनांक 23.11.2009	समान अवसर आयोग (परिशिष्ट-III)
3	अता.प्र.सं. 4559 दिनांक 17.12.2009	समान अवसर आयोग (परिशिष्ट-IV)
4	अता.प्र.सं. 1196 दिनांक 02.08.2010	समान अवसर संबंधी आयोग का गठन (परिशिष्ट-V)

5	अता.प्र.सं. 3017 दिनांक 12.08.2010	समान अवसर आयोग (परिशिष्ट-VI)
6	अता.प्र.सं. 5018 दिनांक 09.12.2010	समान अवसर आयोग (परिशिष्ट-VII)
7	अता.प्र.सं. 2764 दिनांक 18.08.2011	समान अवसर संबंधी आयोग का गठन (परिशिष्ट-VIII)
8	अता.प्र.सं. 6864 दिनांक 17.05.2012	समान अवसर आयोग की स्थापना (परिशिष्ट-IX)
9	अता.प्र.सं. 4161 दिनांक 06.09.2012	नए आयोगों की नियुक्ति (परिशिष्ट-X)
10	अता.प्र.सं. 4348 दिनांक 06.09.2012	सच्चर समिति की सिफ़ारिशों का क्रियान्वयन (परिशिष्ट-XI)
11	अता.प्र.सं. 1653 दिनांक 07.03.2013	समान अवसर संबंधी आयोग की स्थापना (परिशिष्ट-XII)
12	ता.प्र.सं. 346 दिनांक 21.03.2013	अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव (परिशिष्ट-XIII)
13	अता.प्र.सं.3093 दिनांक 29.08.2013	ईओसी की स्थापना (परिशिष्ट-XIV)
14	अता.प्र.सं. 220 दिनांक 05.12.2013	ईओसी की स्थापना (परिशिष्ट-XV)
15	अता.प्र.सं. 1170 दिनांक 12.12.2013	वंचित व्यक्ति (परिशिष्ट-XVI)
16	अता.प्र.सं. 440 दिनांक 25.02.2015	समान अवसर आयोग (परिशिष्ट-XVII)
17	ता.प्र.सं. 535 दिनांक 04.04.2018	सच्चर समिति (परिशिष्ट-XVIII)

18	अता.प्र.सं. 4093 दिनांक 17.12.2014	अल्पसंख्यक समुदायों हेतु शिक्षा योजनाएं (परिशिष्ट-XIX)
19	ता.प्र.सं. 45 दिनांक 27.04.2016 (श्री असादुद्दीन ओवैसी, संसद सदस्य द्वारा पूरक प्रश्न')	स्टार्ट अप इंडिया स्टैंड अप इंडिया (परिशिष्ट-XX)
20	अता.प्र.सं. 1468 दिनांक 19.12.2018	वक्फ बोर्ड भूमि का अवैध अंतरण (परिशिष्ट-XXI)
21	अता.प्र.सं. 589 दिनांक 06.02.2019	अल्पसंख्यकों हेतु विश्वविद्यालय (परिशिष्ट-XXII)
22	अता.प्र.सं. 3109 दिनांक 15.03.2021	अल्पसंख्यक विद्यार्थियों हेतु छात्रवृति (परिशिष्ट-XXIII)
23	अता.प्र.सं. 1645 दिनांक 29.07.2021	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (परिशिष्ट-XXIV)

6. मौखिक साक्ष्य के दौरान समिति ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित 23 आश्वासनों के लंबित होने की ओर प्रतिनिधियों का ध्यान आकृष्ट किया। इनमें से 15 आश्वासन 15 वीं लोकसभा से संबंधित हैं, 6 आश्वासन 16 वीं लोकसभा के और 2 आश्वासन 17 वीं लोकसभा के हैं। चूंकि 15वीं लोकसभा से संबंधित आश्वासन बहुत पुराने थे और 13 वर्षों से अधिक समय से लंबित थे और आश्वासनों को पूरा करने में अत्यधिक विलंब हुआ था, इसलिए समिति ने आश्वासनों के कार्यान्वयन के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में आश्वासनों की निगरानी और आवधिक समीक्षा प्रक्रिया और प्रणाली के बारे में जांच की। इस पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव ने निम्नानुसार प्रस्तुत किया: –

"हम लगातार आश्वासनों की समीक्षा करते हैं। अधिकांश आश्वासन जो लंबित हैं, वे नीतिगत निर्णय हैं। जब भी कोई नीतिगत निर्णय लिया जाता है तो हम संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ चर्चा करते हैं और उनसे लिखित राय भी लेते हैं।

विशेष रूप से समान अवसर आयोग जैसे आश्वासन क्योंकि यह कई वर्षों से लंबित है। इसलिए, हम समय-समय पर विभिन्न मंत्रालयों से राय लेते हैं। कुछ कारणों से या मंत्रालयों में कुछ बिंदुओं पर पुनर्विचार के कारण भी अलग-अलग राय प्राप्त हुई है, जिन्हें हम सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं।

7. समिति ने लंबित आश्वासनों को पूरा करने के लिए मंत्रालय द्वारा अपनाई जा रही रणनीति के बारे में पूछताछ की, जिसे सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने निम्नानुसार विस्तार से बताया: –

हमारे मंत्रालय से जो भी संबंधित है, हम तत्काल कार्रवाई करते हैं। जैसे, उदाहरण के लिए, छात्रवृत्ति के बारे में आश्वासन। छात्रवृत्ति दरों में संशोधन के संबंध में बार-बार सुझाव दिए गए। ईएफसी नोट अभी तैयार किया गया है और परिचालन में है। जैसे ही इसे कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा, निश्चित तौर पर इस पर कुछ फैसला होगा। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित आश्वासन के संबंध में, यह सच है कि शिक्षा विभाग से सूचना प्राप्त करने में कुछ विलंब हुआ था। आज हम आपके सामने जानकारी लेकर आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके समक्ष जो जानकारी प्रस्तुत की जाएगी, वह माननीय समिति को संतुष्ट करेगी।"

8. इसके बाद, तालिका 1 के क्रम संख्या 19 में उल्लिखित एक आश्वासन को 27.07.2022 को लागू किया गया है।

टिप्पणियां/सिफारिशें

9. समिति ने नोट किया है कि समीक्षा के लिए समिति द्वारा लिए गए 23 आश्वासनों में से, क्रम संख्या 1 से 6 में उल्लिखित छह आश्वासन बारह/तेरह वर्षों से अधिक समय से लंबित थे, जबकि क्रम संख्या 7 से 10 में उल्लिखित चार आश्वासन दस से ग्यारह वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं। इसी तरह, क्रम संख्या 11, 12, 13,

14, 15 और 18 में उल्लिखित छह आश्वासन आठ से नौ वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं, जबकि क्रम संख्या 16 में उल्लिखित आश्वासन सात साल से अधिक समय से लंबित है। शेष पांच आश्वासनों का उल्लेख क्रम संख्या 17, 20, 21, 22 और 23 में किया गया है जो क्रमशः एक से चार वर्षों से अधिक समय से कार्यान्वयन के लिए लंबित हैं। इसके अलावा, क्रम संख्या 19 में उल्लिखित केवल एक आश्वासन को 27.07.2022 को लागू किया जा सका, वह भी छह साल से अधिक समय बीत जाने के बाद। यद्यपि मंत्रालय का कहना है कि वे आश्वासनों की निगरानी के लिए नियमित रूप से समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, तथापि आश्वासनों को पूरा करने में अत्यधिक विलंब होने से लंबित आश्वासनों की समीक्षा और निगरानी में मंत्रालय की कमियों का पता चलता है। समिति का मानना है कि मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से उन आश्वासनों जिनमें अन्य मंत्रालय/विभाग शामिल हैं, को पूरा करने के लिए स्थापित मौजूदा तंत्र अप्रभावी है और इसे बदलने की आवश्यकता है। समिति इस बात पर भी जोर देती है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित कुछ आश्वासन संवेदनशील हैं और इसलिए उनके कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय को ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके अलावा आश्वासनों के समय से पूरा होने पर सरकार में जनता का विश्वास बढ़ता है। समिति समझती है कि नीतिगत मामलों या विवादास्पद प्रकृति के मामलों से जुड़े आश्वासनों या ऐसे आश्वासन जिनके लिए अंतर-मंत्रालयी/अंतर-विभागीय समन्वय की आवश्यकता होती है, के कार्यान्वयन में अधिक समय लग सकता है और इन्हे निर्धारित समय-सीमा में पूरा करना कठिन हो सकता है। हालांकि सत्यनिष्ठ संसदीय दायित्वों से जुड़े आश्वासनों को कार्यान्वित करने के लिए सतत् प्रयास करने की आवश्यकता है। समिति यह आशा करती है कि और विश्वास करती है कि मंत्रालय इस दिशा में ठोस प्रयास करेगा और लंबित आश्वासनों के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के साथ अपना समन्वय बढ़ाएगा। समिति यह भी अपेक्षा करती है कि मंत्रालय आश्वासनों की निगरानी के लिए समय-समय पर आयोजित समीक्षा बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करेगा जिससे कि समिति को लंबित आश्वासनों के कार्यान्वयन की प्रगति को समझने में मदद मिल सके। इसके अलावा, यह जवाबदेही निर्धारक और उपयोगी समीक्षा दस्तावेज के रूप में कार्य करेगा।

दो. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लंबित आश्वासनों की समीक्षा

10. उत्तरवर्ती पैराओं में, समिति ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित उन कुछेक महत्वपूर्ण लंबित आश्वासनों पर विचार किया है, जिनकी 04.07.2022 को आयोजित समिति की बैठक में गंभीर रूप से जांच/समीक्षा की गई है।

क. समान अवसर आयोग

(i) 'समान अवसर आयोग' विषय संबंधी दिनांक 02.07.2009 का अता.प्र.सं. 168 (क्र. सं. 01)

(ii) 'समान अवसर आयोग' विषय संबंधी दिनांक 23.11.2009 का अता.प्र.सं. 533 (क्र. सं. 02)

(iii) 'समान अवसर आयोग' विषय संबंधी दिनांक 17.12.2009 का अता.प्र.सं. 4559 (क्र. सं. 03)

(iv) 'समान अवसर आयोग का गठन' विषय संबंधी दिनांक 02.08.2010 का अता.प्र.सं. 1196 (क्र. सं. 04)

(v) 'समान अवसर आयोग' विषय संबंधी दिनांक 12.08.2010 का अता.प्र.सं. 3017 (क्र. सं. 05)

(vi) 'समान अवसर आयोग' विषय संबंधी दिनांक 09.12.2010 का अता.प्र.सं. 5018 (क्र. सं. 06)

(vii) 'समान अवसर संबंधी आयोग का गठन' विषय संबंधी दिनांक 18.08.2011 का अता.प्र.सं. 2764 (क्र. सं. 07)

(viii) 'समान अवसर आयोग की स्थापना' विषय संबंधी दिनांक 17.05.2012 का अता.प्र.सं. 6864 (क्र. सं. 08)

(ix) 'नए आयोगों की नियुक्ति' विषय संबंधी दिनांक 06.09.2012 का अता.प्र.सं. 4161(क्र. सं. 09)

(x) 'सच्चर समिति की सिफारिशों का क्रियान्वयन' विषय संबंधी दिनांक 06.09.2012 का अता.प्र.सं. 4348 (क्र. सं. 10)

(xi) 'समान अवसर आयोग की स्थापना' विषय संबंधी दिनांक 07.03.2013 का अता.प्र.सं. 1653 (क्र. सं. 11)

(xii) 'अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव' विषय संबंधी दिनांक 21.03.2013 का ता.प्र.सं. 346 (क्र. सं. 12)

(xiii) 'ईओसी की स्थापना' विषय संबंधी दिनांक 29.08.2013 का अता.प्र.सं. 3093 (क्र. सं. 13)

(xiv) 'समान अवसर संबंधी आयोग की स्थापना' विषय संबंधी दिनांक 05.12.2013 का अता.प्र.सं. 220 (क्र. सं. 14)

(xv) 'वंचित व्यक्ति' विषय संबंधी दिनांक 12.12.2013 का अता.प्र.सं. 1170 (क्र. सं. 15)

(xvi) 'समान अवसर आयोग' विषय संबंधी दिनांक 25.02.2015 का अता.प्र.सं. 440 (क्र. सं. 16)

(xvii) 'सच्चर समिति' विषय संबंधी दिनांक 04.04.2018 का ता.प्र.सं 535 (क्र. सं 17)

11. उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर में यह कहा गया था कि सच्चर समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ वंचित समूहों की शिकायतों के समाधान के लिए समान अवसर आयोग (ईओसी) की संरचना, कार्य निर्धारण तथा जांच के लिए एक विशेषज्ञ समूह गठित करने की सिफारिश की थी। तदनुसार, मंत्रालय द्वारा प्रोफेसर (डॉ.) एन. आर. माधव मेनन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था। विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट और सरकार द्वारा की गई जांच के आधार पर प्रारूप ईओसी विधेयक, 2013 जांच और परामर्श की प्रक्रिया से गुजरा है जो कि संसद के अधिनियम द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए ईओसी को एक संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित करने के लिए अपेक्षित है और चूंकि इस पर अलग-अलग विचार सामने आए हैं, इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

12. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने जुलाई, 2022 में प्रस्तुत अपने स्थिति टिप्पण में, आश्वासन के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में निमन्वत् बताया: –

"प्रारूप समान अवसर आयोग (ईओसी) विधेयक, 2013 को मंत्रिमंडल द्वारा 20.02.2014 को आयोजित बैठक में अनुमोदित किया गया था। तथापि, ईओसी के गठन का प्रस्ताव 2014 में पुनः अंतर-मंत्रालयी परामर्श के लिए भेजा गया। अंतर-मंत्रालयी परामर्श के दौरान नोट पर भिन्न-भिन्न मंत्रालयों/विभागों से अलग-अलग विचार प्राप्त हुए। मंत्रालय में समग्रता से विस्तृत जांच के बाद अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की यह राय है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ईओसी में परिकल्पित कार्यों को प्रभावी ढंग से कर सकता है। इसलिए इस संबंध में मंत्रिमंडल को एक प्रस्ताव भेजा गया है और इस मामले पर मंत्रिमंडल सचिवालय का निर्णय प्रतीक्षित है।"

13. मौखिक साक्ष्य के दौरान आश्वासनों के कार्यान्वयन पर अद्यतन जानकारी देते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव ने निम्नवत् बताया: –

"आश्वासन 1 से 17 समान अवसर आयोग से संबंधित हैं। प्रारंभ में, ईओसी की स्थापना के लिए मंत्रिमंडल में अनुमोदन दिया गया था और इसे 20.02.2014 को मंत्रिपरिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया था। तत्पश्चात्, दिनांक 06.06.2014 को प्रस्ताव की पुनः जांच की गई और इसे पुनः अंतर-मंत्रालयी परामर्श के लिए भेजा गया। इस बार वित्त मंत्रालय ने ईओसी की स्थापना के प्रस्ताव को समर्थन नहीं दिया है । महोदय, हम आपकी अनुमति से गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की

स्पष्ट राय आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं; महोदय, मैं आपके समक्ष कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूँगा।

" सभी व्यक्तियों को समान अवसर दिए जाने की आवश्यकता है न कि समूहों को क्योंकि समूहों में ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो अधिक लाभान्वित या कम लाभान्वित वर्ग से हों, क्योंकि अधिकांश धार्मिक समूहों में गरीब, अमीर, और बहुत अमीर लोग होते हैं।" इसलिए, एक समूह को समान अवसर देने की बजाय, इसे व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए। यह गृह मंत्रालय की राय थी। इसी तरह, समान अवसर किसी विशेष समूह तक ही सीमित नहीं होने चाहिए, बल्कि ये व्यक्तियों को दिए जाने चाहिए। यह उनकी राय थी। वित्त मंत्रालय का कहना है कि पहले ही राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया जा चुका है। पुनः आयोग के गठन की सहमति नहीं दी गई क्योंकि इसका अधिदेश और ईओसी में प्रस्तावित अधिदेश एक जैसे थे। दोनों के विचारों का संज्ञान लेते हुए हमने फिर से 18.02.2020 को कैबिनेट नोट प्रस्तुत किया। यह प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है। इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

14. समिति द्वारा यह पूछे जाने पर कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की यह राय कि एनसीएम, ईओसी के लिए परिकल्पित कार्यों को कर सकता है, कब प्राप्त हुई; मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने उत्तर में बताया कि उक्त राय 18.02.2020 को प्राप्त हुई। समिति इस बात पर चिंतित थी कि जो प्रश्न वर्ष 2009 में पूछा गया था, उसका उत्तर मंत्रालय द्वारा 11 वर्षों के अंतराल के बाद 2020 में दिया गया। समिति ने यह जानना चाहा कि कि मंत्रालय इन 11 वर्षों में क्या कर रहा था। इस संबंध में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव ने निमन्वत् बताया: –

"हमने यह मुद्दा कई बार कैबिनेट सचिवालय के समक्ष उठाया है, क्योंकि यह एक संवेदनशील मुद्दा है। यह अभी भी लंबित है"

टिप्पणियां/सिफारिशें

15. समिति यह नोट करती है कि मंत्रालय द्वारा वंचित समूहों की शिकायतों के निपटारन के लिए समान अवसर आयोग (ईओसी) की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर दिए गए 17 आश्वासन काफी समय से लंबित हैं। इनमें से इस विषय पर पहला आश्वासन 13 वर्षों से भी अधिक समय पहले अर्थात वर्ष 2009 में दिया गया था । इसके बाद वर्ष 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 और 2021 में एक के बाद एक इसी तरह के 16 आश्वासन दिए गए। समिति ने पाया कि सच्चर समिति की सिफारिश के अनुरूप वंचित समूहों की शिकायतों को दूर करने के लिए ईओसी की स्थापना हेतु ईओसी विधेयक, 2013 का प्रारूप फरवरी, 2014 में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अनुमोदित किया गया था। तथापि, ईओसी की स्थापना के प्रस्ताव की पुन जांच की गई और जून, 2014 में इसे पुनः अंतर-मंत्रालयी परामर्श के लिए भेजा गया। अंतर-मंत्रालयी परामर्श के दौरान इस पर भिन्न-भिन्न मंत्रालयों/विभागों से अलग-अलग विचार प्राप्त हुए। मंत्रालय में समग्रता से विस्तृत जांच के बाद अब अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की यह राय है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, ईओसी में परिकल्पित कार्यों को प्रभावी ढंग से कर सकता है। 04.07.2022 को साक्ष्य के दौरान मंत्रालय ने आश्वासन पर अद्यतन जानकारी देते हुए सूचित किया कि ईओसी की स्थापना के प्रस्ताव को गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा समर्थन नहीं मिला है। गृह मंत्रालय का विचार था कि व्यक्तियों को समान अवसर दिए जाने की आवश्यकता है न कि समूहों को क्योंकि समूहों में ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जो अधिक लाभान्वित या कम लाभान्वित वर्ग से हों, क्योंकि अधिकांश धार्मिक समूहों में गरीब, अमीर और बहुत अमीर लोग भी

होते हैं। वित्त मंत्रालय ने भी आयोग के गठन को इस आधार पर मंजूरी नहीं दी कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग पहले ही स्थापित किया जा चुका है और कार्य कर रहा है तथा इसका अधिदेश प्रस्तावित ईओसी के समान ही है। इसलिए, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने दोनों मंत्रालयों के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए 18.02.2020 को फिर से कैबिनेट नोट प्रस्तुत किया। तथापि, इस मुद्दे को कई बार मंत्रिमंडल सचिवालय के समक्ष उठाए जाने के बावजूद इस मामले पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है और यह प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है।समिति इस बात से चिंतित है कि इस विषय पर पहला आश्वासन वर्ष 2009 में दिया गया था लेकिन इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है और आश्वासन अभी भी पूरा नहीं किया गया है। समिति समझती है कि यह मामला संवेदनशील प्रकृति का है जिसमें विभिन्न मंत्रालय/विभाग शामिल हैं, तथापि वंचित वर्गों को समान अवसर के महत्वपूर्ण मुद्दे पर आश्वासनों को पूरा करने में 11 वर्ष से अधिक का विलंब अस्वीकार्य है। समिति महसूस करती है कि समाज के वंचित वर्ग के लाभ के लिए विचाराधीन मुद्दों को समयबद्ध तरीके से समाधान करने की आवश्यकता है। समिति मंत्रालय से सिफारिश करती है कि वह विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित राय और विचारों के आलोक में इस मामले में समग्र दृष्टिकोण अपनाए और रचनात्मक तरीके से सभी संबंधित हितधारकों के साथ समन्वय करे ताकि अंतिम निर्णय पर पहुंचा जा सके। समिति यह भी चाहती है कि मंत्रालय ईओसी से संबंधित सभी लंबित आश्वासनों की समीक्षा करे ताकि उनके कार्यान्वयन की व्यवहार्यता का पता लगाया जा सके और समिति को इसकी स्थिति से अवगत कराया जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आश्वासनों की समीक्षा का वर्तमान तंत्र बहुत सुदृढ़ और प्रभावी नहीं रहा है, समिति यह भी सिफारिश करती है कि आश्वासनों के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को बड़े स्तर पर उठाया जाए और समिति को कार्यान्वयन की स्थिति से अवगत कराया जाए।

ख. अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति

'अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति' के संबंध में दिनांक 15.03.2021 का अता.प्र.सं. 3109 (क्रम सं. 22)

16. अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति (परिशिष्ट - बाईस) के संबंध में दिनांक 15.03.2021 के अता.प्र.सं. 3109 के उत्तर में, अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया गया था कि जैसा कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है, यह देश भर के सभी राज्यों में 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात बौद्ध, ईसाई, जैन, मुस्लिम, सिख और पारसी (पारसी) से संबंधित विद्यार्थियों या लाभार्थियों के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं लागू करता है। छात्रवृत्ति सरकारी/मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में कक्षा एक से दस में पढ़ने वाले अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है। लड़कियों के लिए न्यूनतम 30 प्रतिशत छात्रवृत्तियां निर्धारित की गई हैं। इसमें पात्र होने के लिए विद्यार्थियों के माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए और उसे पिछली कक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त होने चाहिए।

यह भी सूचित किया गया है कि उपर्युक्त योजना के विद्यमान दिशानिर्देशों की 2021-22 से 2025-26 के दौरान कार्यान्वयन के लिए जांच की जा रही है और अभिभावकों की वार्षिक आय, वार्षिक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कोटा और छात्रवृत्ति की दर के संशोधन सहित सभी पहलुओं पर उसी के दौरान विचार किया जाएगा।

17. जुलाई, 2022 में प्रस्तुत अपने स्थिति टिप्पण में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने आश्वासनों के कार्यान्वयन के संबंध में निम्नवत स्थिति से अवगत कराया:-

इस सवाल का उत्तर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा दिया गया था। उत्तर को आश्वासन के रूप में माना गया और इसे पूरा करने के लिए

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया। इस मंत्रालय ने 12.05.2022 को शिक्षा मंत्रालय से उक्त आश्वासन के हस्तांतरण को स्वीकार कर लिया।

आज की तारीख में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की तीन छात्रवृत्ति योजनाएं 30.09.2022 तक अनुमोदित की गई हैं। छात्रवृत्ति के लिए पारिवारिक वार्षिक आय आदि की दरों में परिवर्तन के साथ योजनाओं को जारी रखने के लिए ईएफसी प्रस्ताव का मसौदा परिचालित किया गया है। प्रस्ताव को ईएफसी द्वारा एक बार सहमति दिए जाने के बाद सीसीईए की मंजूरी प्राप्त करनी होगी।

18. समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य के दौरान अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव ने आश्वासनों के संबंध में निम्नानुसार बताया:-

मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के संबंध में बार-बार यह मांग की जा रही है कि छात्रवृत्तियों की दरों और स्लैबों को संशोधित किया जाना चाहिए। आश्वासन यह था कि यह सूचित किया गया है कि अधिदेशित योजना के मौजूदा दिशानिर्देशों की जांच की जाए। हमने 2021-22 से 2025-26 के दौरान कार्यान्वयन के लिए जांच की और वार्षिक पारिवारिक आय में संशोधन, वार्षिक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रकोटा और छात्रवृत्ति की दर सहित सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा। अब स्थिति यह है कि मंत्रालय की इस छात्रवृत्ति योजना को 30.09.2022 तक के लिए मंजूरी दे दी गई है। इसमें एक मंत्री समूह भी था। मंत्री समूह की चर्चाओं के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है, हालांकि मंत्री समूह का निर्णय अभी भी लंबित है। इस पर अभी विचार किया जा रहा है। इस बीच वित्त मंत्रालय की ओर से कहा गया कि ईएफसी नोट भी लगाया जाना

चाहिए। सभी मंत्रालयों की राय लेते हुए ईएफसी नोट परिचालित किया गया है। इसे बहुत जल्द माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

19. जब समिति ने यह जानना चाहा कि आश्वासन को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है, तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव ने उत्तर दिया कि वे सभी की राय आते ही इसे पूरा कर लेंगे।

टिप्पणियां/सिफारिशें

20. समिति ने नोट किया कि आश्वासन अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति से संबंधित है जो दिनांक 15.03.2021 के अता.प्र.सं. 3109 के उत्तर में दिया गया था। समिति ने आगे नोट किया कि मूल रूप से शिक्षा मंत्रालय द्वारा उत्तर दिया गया था जिसमें सूचित किया गया था कि 2021-22 से 2025-26 के दौरान कार्यान्वयन के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के मौजूदा दिशानिर्देशों की जांच की जा रही है और पारिवारिक वार्षिक आय, वार्षिक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कोटा और छात्रवृत्ति की दर में संशोधन सहित सभी पहलुओं पर उसी के दौरान विचार किया जाएगा। इसके बाद उत्तर को आश्वासन के रूप में माना गया और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने 12.05.2022 को शिक्षा मंत्रालय से उक्त आश्वासन के हस्तांतरण को स्वीकार कर लिया क्योंकि इसकी विषय वस्तु उनसे संबंधित थी। तीन छात्रवृत्ति योजनाएं 30.09.2022 तक अनुमोदित रहीं और मंत्रालय ईएफसी द्वारा प्रस्ताव को सहमति और सीसीईए की मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया में था। इस बीच मंत्रियों के समूह का

गठन किया गया और मंत्रियों के समूह की चर्चा के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है और मामला अभी भी विचाराधीन है, हालांकि इसका निर्णय अभी भी लंबित है । समिति को यह भी सूचित किया गया है कि जैसे ही मंत्रालय परिचालित प्रस्तावों पर राय/विचार प्राप्त कर लेगा, वे अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी करेंगे और आश्वासन को पूरा करेंगे। मंत्रालय ने इस मुद्दे पर और समय लगने का कारण बताते हुए 30.09.2022 तक का समय बढ़ाने की भी मांग की। घटनाओं के अनुक्रम की सावधानीपूर्वक जांच से पता चलता है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा मार्च, 2021 में आश्वासन दिया गया था लेकिन इसे मई, 2022 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया और एक वर्ष से अधिक के अंतराल के बाद इसे स्वीकार कर लिया गया। समिति का मानना है कि यदि दोनों मंत्रालयों की ओर से समन्वित प्रयास किए गए होते तो पूरे एक वर्ष के नुकसान से बचा जा सकता था। समिति का विचार है कि अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदायों के माता-पिता को अपने स्कूल जाने वाले बच्चों को स्कूल भेजने, स्कूली शिक्षा पर उनके वित्तीय बोझ को हल्का करने और स्कूली शिक्षा पूरी करने के लिए अपने बच्चों का समर्थन करने के अपने प्रयासों को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसके अलावा, छात्रवृत्ति योजनाएं बच्चों की शिक्षा प्राप्ति में सहायक होती है और प्रतिस्पर्धी रोजगार क्षेत्र में उन्हें समान अवसर प्रदान करती हैं। समिति का मानना है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है ताकि आश्वासन को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जा सके। यह देखते हुए कि शिक्षा

के माध्यम से सशक्तिकरण जो छात्रवृत्ति योजनाओं के उद्देश्यों में से एक है जिसमें अल्पसंख्यक समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों के उत्थान की अपार संभावनाएं हैं। ये आश्वासन बहुत महत्व रखते है और इसे ठंडे बस्ते में नहीं रखा जा सकता है। इसलिए समिति मंत्रालय से सिफारिश करती है कि वह अपने प्रयासों को तेज करे, सभी संबंधितों के साथ अपना समन्वय बढ़ाए और इस मामले को बड़े स्तर पर जोरदार ढंग से उठाए और आश्वासनों का समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करे। समिति यह भी चाहती है कि किसी भी तरह से समक्ष आ रही बाधाओं से समिति को अवगत कराया जाए।

III. कार्यान्वयन रिपोर्ट

21. संसदीय कार्य मंत्रालय के विवरण के अनुसार दिनांक 27.04.2016 के ता.प्र. संख्या 45 (श्री असादुद्दीन ओवैसी, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न) के उत्तर में दिए गए आश्वासन के संबंध में कार्यान्वयन रिपोर्ट 27.07.2022 को सदन के पटल पर रखी गई है।

नई दिल्ली;
07 फरवरी, **2023**
18 माघ, **1944** (शक)

राजेन्द्र अग्रवाल,
सभापति,
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

परिशिष्ट- एक

भारत सरकार, में संसदीय प्रक्रिया की नियम पुस्तिका, संसदीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली से उद्धरण

अध्याय–8

आश्वासन

परिभाषा

8.1 प्रश्न का उत्तर देते समय या चर्चा के दौरान यदि मंत्री सरकार की ओर से आगे कार्रवाई किए जाने के संबंध में सदन को फिर से सूचित करने का वचन देता है तो उसे "आश्वासन" कहा जाता है। सामान्यतः जो कथन आश्वासन मान लिए जाते हैं उनकी एक मानक सूची अनुबंध–3 में दी गई है। यह मानक सूची लोक सभा और राज्य सभा की सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (सीजीए) द्वारा अनुमोदित है। चूंकि आश्वासनों को निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्यान्वित करना अपेक्षित होता है इसलिए सभी संबंधित व्यक्तियों को प्रश्नों के उत्तरों का प्रारूप तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन कथनों का प्रयोग केवल ऐसे अवसरों पर किया जाए जबकि इन कथनों द्वारा सदन के समक्ष स्पष्टतः कोई आश्वासन देने का इरादा हो।

आश्वासन को पूरा करने की समय–सीमा

8.2 दोनों सदनों में से किसी भी सदन में दिया गया आश्वासन, आश्वासन दिए जाने की तारीख से तीन महीने की अवधि के अंदर पूरा किया जाना आवश्यक है। इस समय सीमा का पूरी तरह से पालन किया जाए।

ऑनलाइन एश्योरेंस मॉनिटरिंग सिस्टम (ओ.ए.एम.एस.)

8.3 आश्वासनों को जल्दी से जल्दी पूरा किए जाने के लिए सदन की कार्यवाहियों से आश्वासनों को छांटने से लेकर कार्यान्वयन रिपोर्ट प्रस्तुत करने तक तथा समय सीमा बढ़ाने, आश्वासनों को छोड़ने तथा अंतरित करने तक की पूरी प्रक्रिया को एक "ऑनलाइन एश्योरेंस मॉनिटरिंग सिस्टम" (ओ.ए.एम.एस.) नामक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के जरिए स्वचालित बना दिया गया है। किसी अन्य ऑफलाइन तरीके से समय सीमा को बढ़ाने, आश्वासनों को छोडने तथा अंतरित करने के लिए किए गए निवेदन या कार्यान्वयन रिपोर्ट की प्रस्तुति को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आश्वासनों को छांटना

8.4 जब कोई आश्वासन किसी मंत्री ने दिया हो अथवा पीठासीन अधिकारी ने सदन को कोई सूचना प्रस्तुत करने के लिए सरकार को निर्देश दिया हो तो संसदीय कार्य मंत्रालय संबंधित कार्यवाही से आश्वासनों को छांट लेता है और जिस तारीख को सदन के समक्ष वह आश्वासन दिया गया हो, उससे सामान्यतः 20 दिन के भीतर ओ.ए.एम. एस के जरिए संबंधित विभाग को ऑनलाइन सूचित कर देता है।

आश्वासनों की सूची से निकाल देना

8.5 प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को ऐसे किसी वक्तव्य को आश्वासन मानने में आपत्ति हो या वह महसूस करे कि सार्वजनिक हित में आश्वासन की पूर्ति नहीं की जा सकती हो, तो वह इस प्रकार के वक्तव्य को आश्वासन माने जाने के एक सप्ताह के भीतर ही इसको आश्वासनों की सूची से हटा देने का अपना निवेदन 'ओ.ए.एम.एस' पर अपलोड कर सकता है। ऐसे निवेदनों को उनके मंत्री का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए और उक्त निवेदन वाले उनके पत्र में इस तथ्य का उल्लेख होना चाहिए। यदि ऐसा निवेदन 3 मास की निर्धारित समय–सीमा समाप्त होने के करीब किया जाता है तो, उक्त निवेदन में समय सीमा बढ़ाने के लिए निवेदन भी अवश्य ही साथ में होना चाहिए। जब तक सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का कोई निर्णय ओ.ए.एम.एस. के माध्यम से उन्हें प्राप्त न हो जाए, तब तक विभाग को समय–सीमा बढ़वाने का निवेदन करते रहना चाहिए। ऑफलाइन तरीके से प्राप्त निवेदनों पर राज्य सभा/लोक सभा सचिवालय या संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा विचार नहीं किया जाएगा ।

आश्वासनों को पूरा करने की समय–सीमा बढ़ाना

8.6 यदि विभाग यह अनुभव करे कि आश्वासन तीन महीने की निर्धारित अवधि अथवा पहले ही बढ़ाई जा चुकी अवधि के भीतर पूरा नहीं किया जा सकता है तो वह समय बढ़ाने की आवश्यकता महसूस होते ही समय बढ़वाने के लिए लिए निवेदन करेगा जिसमें देरी के कारण, संभावित अतिरिक्त समय तथा इस मामले में की गई कार्रवाई तथा प्रगति का उल्लेख किया जाएगा। इस आशय के सभी निवेदन संबंधित मंत्री का अनुमोदन लेकर सीजीए के निर्णय के लिए 'ओ.ए.एम.एस' पर किए जाने चाहिए।

आश्वासनों का रजिस्टर

8.7.1 प्रत्येक आश्वासन के ब्यौरे, संबंधित मंत्रालय/विभाग के संसद एकक द्वारा अनुबंध–4 में दिए गए रजिस्टर में दर्ज किए जाएंगे और इसके पश्चात् आश्वासन संबंधित अनुभाग को भेज दिया जाएगा

8.7.2 इस प्रकार के आश्वासनों को पूरा करने की कार्रवाई प्रत्येक अनुभाग द्वारा शीघ्रता से यहां तक कि संसदीय कार्य मंत्रालय से 'ओ. ए.एम.एस' द्वारा पत्रादि प्राप्त होने से पूर्व ही कर ली जानी चाहिए और आश्वासनों की पूर्ति पर अनुबंध–5 में दिए गए रजिस्टर के माध्यम से निगरानी रखी जानी चाहिए।

8.7.3 लोक सभा और राज्य सभा के आश्वासनों के लिए पैरा 8.7.1 तथा पैरा 8.7.2 में उल्लेख किए गए अनुसार अलग–अलग रजिस्टर बनाए जाएंगें और उनमें सत्रवार प्रविष्टियां की जाएंगी।

अनुभाग अधिकारी और शाखा अधिकारी की भूमिका

संबंधित अनुभाग का प्रभारी अनुभाग अधिकारी:–

(क) रजिस्टरों की सप्ताह में एक बार छानबीन करेगा;

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी न की जाए;

(ग) यदि संबंधित सदन का सत्र चल रहा हो, तो पखवाड़े में एक बार अन्यथा महीने में एक बार इन रजिस्टरों को शाखा अधिकारी को प्रस्तुत करेगा और उसका ध्यान ऐसे आश्वासनों की ओर विशेष रूप से आकर्षित करेगा जिनके तीन महीने के भीतर पूरे होने की संभावना नहीं है; और

(घ) लंबित आश्वासनों की समय–समय पर उच्चतम स्तर पर पुनरीक्षा की जानी चाहिए ताकि आश्वासनों का जल्द से जल्द कार्यान्वयन किया जा सके।

8.8 इसी प्रकार शाखा अधिकारी अपने उच्च अधिकारियों और मंत्री को आश्वासनों के कार्यान्वयन की दिशा में हुई प्रगति के बारे में लगातार अवगत कराएगा और विलंब के कारणों की ओर उनका ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करेगा ।

आश्वासन को पूरा करने की प्रक्रिया

8.9.1 आश्वासन को निर्धारित समय के भीतर पूरा करने की पूरी कोशिश की जानी चाहिए। यदि सूचना का केवल कुछ अंश ही उपलब्ध हो और शेष सूचना को एकत्र करने में काफी समय लग सकता हो, तो एक कार्यान्वयन रिपोर्ट (आई आर) निर्धारित समय के भीतर आश्वासन के आंशिक कार्यान्वयन के तौर पर 'ओ.ए.एम.एस.' पर अपलोड कर दी जानी चाहिए। लेकिन आश्वासन को शीघ्र पूरा करने के लिए शेष सूचना को जल्दी से जल्दी प्राप्त करने की कोशिश जारी रहनी चाहिए।

8.9.2 किसी आश्वासन को पूरा करने के संबंध में भेजी जाने वाली आंशिक या पूर्ण सूचना के अनुबंध–6 में उल्लिखित निर्धारित फार्म में हिन्दी और अंग्रेजी में तैयार किए गए पाठ और अनुलग्नकों को संबंधित मंत्री का अनुमोदन लेने के बाद ही 'ओ.ए.एम.एस' पर अपलोड करवाया जाना चाहिए। आश्वासन को यथास्थिति आंशिक या पूर्णरूप से पूरा करने संबंधी रिपोर्ट को ऑनलाइन प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद उसके अंग्रेजी और हिन्दी पाठ में से प्रत्येक की 4–4 हार्ड प्रतियां संसदीय कार्य मंत्रालय को भेज दी जानी चाहिए, जिनमें से एक हिन्दी प्रति और एक अंग्रेजी प्रति संबंधित अधिकारी द्वारा विधिवत अधिप्रमाणित होनी चाहिए। संबंधित सदन द्वारा ई–रिपोर्ट स्वीकार किए जाने तक इन प्रतियों को सदन के पटल पर रखा जाएगा।

8.9.3 कार्यान्वयन रिपोर्ट को केवल 'ओ.ए.एम.एस' पर ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। किसी अन्य तरीके से भेजी गई कार्यान्वयन रिपोर्ट अथवा राज्य सभा/लोक सभा सचिवालय को सीधे भेजी गई कार्यान्वयन रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत किए जाने पर विचार नहीं किया जाएगा ।

कार्यान्वयन रिपोर्ट सदन के पटल पर रखना

8.10 कार्यान्वयन रिपोर्ट की छानबीन करने के पश्चात् संसदीय कार्य मंत्रालय उसे संबंधित सदन के पटल पर रखने की व्यवस्था करेगा। यह मंत्रालय सदन के पटल पर रखी गई कार्यान्वयन रिपोर्ट की एक प्रति संबंधित सदस्य (सदस्यों)को भेजेगा। संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा दी कार्यान्वयन रिपोर्ट को प्रस्तुत किए जाने का ब्यौरा संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा 'ओ.ए.एम.एस' पर उपलब्ध कराया जाएगा। संबंधित मंत्रालय/विभाग का संसद एकक तथा संबंधित अनुभाग 'ओ.ए.एम.एस' पर उपलब्ध विवरण के आधार पर अपने–अपने रिकॉर्ड को अद्यतन करेंगे।

सदन के पटल पर किसी विषय से संबंधित दस्तावेज रखने का दायित्व समान उसी विषय पर दिया गया आश्वासन

8.11 जिन मामलों में दस्तावेज (नियम/आदेश/अधिसूचना आदि) सदन के पटल पर रखा जाना बाध्यकारी हो और जिसके लिए आश्वासन भी दे दिया गया हो, तो इस दायित्व को पूरा करने के लिए पहले दस्तावेज को सदन के पटल पर रखा जाएगा, इसका दिए गए आश्वासन से कोई संबंध नहीं होगा। इसके बाद आश्वासन को पूरा किए जाने के संबंध में एक औपचारिक रिपोर्ट, सभा पटल पर दस्तावेज रखे जाने की तारीख का उल्लेख करते हुए, 'ओ.ए.एम.एस' पर (अनुबंध–6 में) निर्धारित फार्म में पैरा 8.9.2 में पहले ही बताए अनुसार अपलोड कर दी जाएगी।

सरकारी आश्वासनों पर समितियां

राज्य सभा नियम 211(क)

लोक सभा नियम 323, 324 और

8.12 संसद के प्रत्येक सदन में सरकारी आश्वासनों की एक समिति होती है जिसे सभापति/अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। यह समिति कार्यान्वयन रिपोर्टों और सरकारी आश्वासनों की पूर्ति में लगे समय की छानबीन करती है और उनके संबंध में हुई देरी के कारणों और उनसे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की ओर, यदि कोई हो, ध्यान आकर्षित करती है। संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा समय-समय पर 'ओ.ए.एम.एस.' पर जारी किए गए अनुदेशों का पूर्णतः पालन किया जाना चाहिए ।

सरकारी आश्वासनों पर समितियों की रिपोर्ट

8.13 मंत्रालय/विभाग, संसदीय कार्य मंत्रालय से परामर्श करके जहां कहीं आवश्यक होता है सुधारात्मक कार्रवाई के लिए इन दोनों समितियों की रिपोर्टों की छानबीन करेंगे ।

लोक सभा भंग होने का आश्वासनों पर प्रभाव

8.14 लोक सभा भंग होने पर कार्यान्वयन के लिए लंबित आश्वासन रद्द नहीं होते हैं। सरकारी आश्वासनों संबंधी एक नई समिति सभी आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं या वचनों की छानबीन करके उनमें से ऐसे आश्वासनों का चयन करती है जो अत्यधिक लोक महत्व के होते हैं। उसके बाद समिति लोक सभा को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है जिसमें समिति द्वारा उन आश्वासनों के संबंध में विशेष रूप से सिफारिश की जाती है जिन्हें सरकार द्वारा छोड़ा जा सकता है या कार्यान्वित किया जा सकता है।

परिशीष्ट-दो

भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 168
उत्तर देने की तारीख 2.07.2009

समान अवसर आयोग

168 श्री एम०आई० शानवास :

क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समान अवसर आयोग को फास्ट ट्रैक पर लाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो समान अवसर आयोग को क्या उत्तरदायित्व सौंपा गया है;

(ग) क्या विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों ने इस बात को लेकर आपत्तियां उठाई हैं कि समान अवसर आयोग ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा महिलाओं और बच्चों हेतु बनाए गए पैनलों के अधिकार क्षेत्रों का अतिक्रमण किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा समान अवसर आयोग का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) **(सलमान खुर्शीद)**

(क) से (घ) : राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 4 जून, 2009 को संसद में दिए गए अभिभाषण में यह पहले ही घोषणा की जा चुकी है कि समान अवसर आयोग का गठन किया जाएगा। समान अवसर आयोग की संरचना और इसकी कार्यप्रणाली से संबंधित अध्ययन और अनुशंसा करने संबंधी विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट की जांच कर ली गई है जो वर्तमान में विचाराधीन है।

*****

परिशिष्ट- तीन

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 533
उत्तर देने की तारीखः 23.11.2009

समान अवसर आयोग ।

533. श्रीमती सुप्रिया सुलेः
श्री जी.एस. बासवराजः

क्या ***सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री*** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सच्चर समिति ने वंचित समूहों की शिकायतों पर गौर करने के लिए समान अवसर आयोग (ईओसी) का गठन करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने समान अवसर आयोग गठित किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उक्त आयोग का गठन कब तक किए जाने की संभावना है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री डी. नेपोलियन)

(क) : जी, हां ।

(ख) और (ग) : समान अवसर आयोग की संरचना एवं कार्यों की जांच एवं निर्धारण हेतु 31.08.2007 को विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया । विशेषज्ञ समूह ने 13.03.2008 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा समान अवसर आयोग की स्थापना के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

****

परिशिष्ट - चार

भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4559
उत्तर देने की तारीख 17.12.2009

समान अवसर आयोग

4559. श्रीमती सुप्रिया सुले:
श्री मनोहर तिरकी:

क्या **अल्पसंख्यक मामले** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समान अवसर आयोग (ई0 ओ0 सी0) के अस्तित्व में अपने से मौजूदा आयोगों सहित इस आयोग के अधिकार क्षेत्र की अतिव्याप्ति की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इस समस्या को हल करने हेतु सरकार द्वारा क्या नियम बनाए गए हैं;

(ग) क्या ई0 ओ0 सी0 विधेयक का विभिन्न मंत्रालयों द्वारा विरोध किया जा रहा है और इसलिए प्रस्तावित विधेयक के मसौदे को पुनः तैयार करने के लिए विधि मंत्रालय को भेजा गया है;

(घ) यदि हां, तो विभिन्न मंत्रालयों द्वारा किन मुख्य मुद्दों पर विरोध किया गया है; और

(ङ) इस विरोध को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या रणनीति अपनाई गई है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) **(सलमान खुर्शीद)**

(क) से (ङ) समान अवसर आयोग के गठन संबंधी प्रस्ताव पर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ अंतर–मंत्रालयीन परामर्शन किया गया है तथा प्रस्तावित विधेयक को विधि तथा न्याय मंत्रालय के परामर्शन में तैयार कर लिया गया है। प्रस्ताव पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

****

परिशिष्ट - पांच

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1196
उत्तर देने की तारीख: 02.08.2010

समान अवसर आयोग का गठन ।

1196. श्री अर्जुन मुंडा:

क्या *सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री* यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार समान अवसर आयोग का गठन करने पर विचार कर रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं; और
(ग) इसका गठन कब तक किए जाने की संभावना है ?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री डी0 नेपोलियन)

(क): जी, हां ।

(ख) और (ग): समान अवसर आयोग (ईओसी) की संरचना और कार्यों के परीक्षण और निर्धारण के लिए 31.8.2007 को एक विशेषज्ञ समूह गठित किया गया था । विशेषज्ञ समूह ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और समान अवसर आयोग के गठन का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

*****

परिशिष्ट - छह

भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3017
जिसका उत्तर दिनांक 12.8.2010 को दिया गया

समान अवसर आयोग

3017. श्री हंसराज गं॰ अहीर:

क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समान अवसर आयोग के गठन के लिए आवश्यक प्रारूप तैयार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रारूप के मुख्य बिंदुओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) समान अवसर आयोग की कार्य प्रणाली और संरचना की जांच और निर्धारण के लिए गठित विशेषज्ञ दल ने अपनी रिपोर्ट प्रारूप समान अवसर आयोग विधेयक के साथ प्रस्तुत कर दी है। समान अवसर आयोग के गठन संबंधी प्रस्ताव तथा प्रारूप विधेयक की सरकार द्वारा समीक्षा की जा रही है।

परिशिष्ट - सात

भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 5018
उत्तर देने की तारीख 09.12.2010

समान अवसर आयोग

5018. श्री जोस के0 मणि :

क्या **अल्पसंख्यक मामले** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार समान अवसर आयोग की स्थापना हेतु एक विधेयक पुरःस्थापित करने का है; और

(ख) यह विधेयक कब तक पुरःस्थापित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (सलमान खुर्शीद)

(क) और (ख): समान अवसर आयोग की कार्यप्रणाली और संरचना के परीक्षण और निर्धारण के लिए गठित विशेषज्ञ दल ने अपनी रिपोर्ट प्रारूप समान अवसर आयोग विधेयक के साथ प्रस्तुत कर दी है। समान अवसर आयोग स्थापित किए जाने संबंधी प्रारूप विधेयक सहित प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है।

******

परिशिष्ट आठ

भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2764
उत्तर देने की तारीख 18.8.2011

समान अवसर संबंधी आयोग

2764. श्रीमती श्रुति चौधरी :

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का समान अवसर संबंधी एक आयोग स्थापित करने की दृष्टि से एक विधेयक लाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा और उद्देश्य क्या हैं ?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री **(श्री विन्सेंट एच. पाला)**

(क) और (ख) : समान अवसर आयोग की संरचना और इसकी कार्य प्रणाली की जांच और निर्धारण के लिए गठित विशेषज्ञ दल ने अपनी रिपोर्ट समान अवसर आयोग विधेयक के प्रारूप के साथ प्रस्तुत कर दी है। इस प्रस्ताव पर तथा समान अवसर आयोग गठित करने संबंधी प्रारूप विधेयक पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

******

भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 6864
उत्तर देने की तारीख 17.05.2012

समान अवसर आयोग की स्थापना

6864. **श्री जोस के0 मणि :**

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में समान अवसर आयोग की स्थापना के लिए विधान बनाने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री **(श्री सलमान खुर्शीद)**

(क) और (ख) : वंचित समूहों की शिकायतों का समाधान करने हेतु न्यायमूर्ति (सेवा–निवृत्त) राजिन्दर सच्चर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने समान अवसर आयोग (इओसी) की स्थापना की अनुशंसा की थी। सरकार ने इस अनुशंसा को स्वीकार कर लिया और समान अवसर आयोग के कार्यों और उसकी संरचना निर्धारित करने और जांच करने तथा उपयुक्त विधायी ढांचा के संबंध में सलाह देने के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन किया था। विशेषज्ञ दल ने अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसके आधार पर समान अवसर आयोग विधेयक का मसौदा तैयार किया गया था और विभिन्न स्टेकहोल्डरों से उस पर टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं।

(ग) : प्रश्न नहीं उठता।

****

परिशिष्ट - दस

भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4161
उत्तर देने की तारीख 06.09.2012

नए आयोगों की नियुक्ति

4161. श्री बलीराम जाधव :

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए आयोगों की स्थापना की गई है/स्थापना प्रस्तावित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) उक्त आयोगों द्वारा कब तक रिपोर्टों को सौंप देने की संभावना है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री **(श्री सलमान खुर्शीद)**

(क) से (ग): राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना पांच अधिसूचित अल्पसंख्यकों के कल्याण की देखरेख करने हेतु 5 जुलाई, 1993 को "राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992" के अंतर्गत की गई थी। इसके अलावा, वंचित समूहों की शिकायतों का समाधान करने के लिए समान अवसर आयोग (ईओसी) की स्थापना करने की सच्चर समिति की अनुशंसा पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, सरकार ने प्रस्तावित समान अवसर आयोग की समुचित विधायी रूपरेखा पर सलाह देते हुए संरचना, क्षेत्र और कार्यों की सिफारिश करने के लिए विशेषज्ञ समूह का गठन किया। विशेषज्ञ समूह ने प्रारूप विधेयक के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट की जांच की गई तथा समान अवसर आयोग की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार किया गया। समान अवसर आयोग विधेयक, 2011 का प्रारूप विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को परिचालित किया गया है और अधिकांश मंत्रालयों से टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं तथा प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है।

*****

भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4348
उत्तर देने की तारीख 06.09.2012

सच्चर समिति की सिफारिशों का क्रियान्वयन

4348. श्री बलीराम जाधव :

क्या अल्पसंख्यक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र में अल्पसंख्यकों की अधिक भागीदारी के संबंध में सच्चर समिति की सिफारिशों पर कोई अनुवर्ती कार्रवाई की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या कतिपय राज्यों में सच्चर समिति की रिपोर्ट लागू करने हेतु कोई विशेष कदम उठाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला)

(क) से (ग) : शिक्षा, रोजगार, सरकारी और निजी दोनों में आवास इत्यादि क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों सहित सभी सामाजिक–धार्मिक समुदायों को समान अवसर प्रदान करना सुनिश्चित करने हेतु सच्चर समिति की सिफारिशों के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई करने के रूप में असमानता सूचकांक प्रस्तावित करने तथा कार्यान्वयन का तरीका तैयार करने के लिए असमानता सूचकांक से संबंधी विशेषज्ञ दल का गठन किया गया था। विशेषज्ञ दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी और रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात असमानता सूचकांक की अवधारणा को समान अवसर आयोग में सम्मिलित कर लिया गया है। समान अवसर आयोग का गठन विचाराधीन है।

(घ) और (ङ) : सच्चर समिति की सिफारिशों से संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई का विभिन्न संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वयन किया जा रहा है। इन अनुवर्ती कार्रवाईयों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है। जहां कहीं आवश्यक हुआ है, राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को स्थानीय निकायों में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व; राज्यों के 'किराया नियंत्रण अधिनियम बनाने के लिए वक्फ संपत्ति को छूट, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों इत्यादि में थानों, अस्पतालों और स्कूलों इत्यादि में अल्पसंख्यकों से संबद्ध कार्मिकों की तैनाती जैसे विभिन्न मुद्दों के संबंध में राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को अनुदेश/परामर्श दिए गए हैं।

*****

"सच्चर समिति की सिफारिशों का क्रियान्वयन" विषय पर दिनांक 06.09.2012 को उत्तर के लिए निर्धारित लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं0 4348 के उत्तर के भाग (घ) और (ङ) में उल्लिखित अनुलग्नक।

सच्चर समिति की प्रमुख अनुशंसाओं पर अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों पर कार्यान्वयन की स्थिति

भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति के संबंध में प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय समिति की विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित अनुशंसाओं पर सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया था :–

1 वित्तीय सेवा विभाग :

(i) सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों को निदेश दिए गए हैं कि वे अल्पसंख्यक बहुल जिलों में अधिक शाखाएं खोलें। वर्ष 2007–08 में ऐसे जिलों में 523 शाखाएं तथा वर्ष 2008–09 में 537 नई शाखाएं खोली गयीं। वर्ष 2009–10 में 743 नई शाखाएं और वर्ष 2010–11 में 814 नई शाखाएं खोली गयीं। वर्ष 2011–12 के दौरान 31 मार्च, 2012 तक 1098 शाखाएं खोली गई हैं। वर्ष 2007–08 से अब तक कुल 5954 शाखाएं खोली जा चुकी हैं।

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक ने अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधा प्रदान करने हेतु प्राथमिकता क्षेत्र ऋण संबंधी अपने मास्टर सर्कुलर को 1 जुलाई, 2011 को संशोधित किया है। दिनांक 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार `164748.42 करोड़ का ऋण अल्पसंख्यकों को प्रदान किया गया, जो कुल प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का 14.55% है।

(iii) महिलाओं में लघु वित्त ऋण को बढ़ावा देने के लिए अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए 5,55,563 खाते खोले गए तथा वर्ष 2011–12 (मार्च, 2012 तक) में उन्हें `6582.22 करोड़ का लघु ऋण दिया गया।

(iv) सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों द्वारा अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों/जिलों/नगरों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2011–12 में मार्च, 2012 तक ऐसे क्षेत्रों में 6912 जागरूकता अभियानों का आयोजन किया गया।

(v) प्रमुख बैंकों द्वारा अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों/जिलों/नगरों में मार्च, 2012 तक 4095 उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनसे लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों की संख्या 58106 है।

2 मानव संसाधन विकास मंत्रालय :

सच्चर समिति द्वारा यथा इंगित मुस्लिम समुदाय के शैक्षिक पिछड़ेपन की समस्या के समाधान हेतु एक बहु–आयामी कार्यनीति, जैसा नीचे दिया गया है, अपनाई गई है –

(क) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के तहत शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों के मानदण्ड को 1 अप्रैल, 2008 से संशोधित किया गया है, ताकि 30% से कम ग्रामीण महिला साक्षरता वाले ब्लॉकों तथा राष्ट्रीय औसत से नीचे के महिला साक्षरता वाले शहरी क्षेत्रों को योजना में शामिल किया जा सके। योजना के अंतर्गत, अब तक अल्पसंख्यक बहुल जिलों में 450 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित किए गए हैं। वर्ष 2011–12 के दौरान मार्च, 2012 तक अल्पसंख्यक बहुल जिलों में 75 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित किये गये हैं।

(ख) माध्यमिक स्तर पर गुणवत्तापरक शिक्षा सुलभ कराने के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) को स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना के तहत अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में सरकारी स्कूल खोले जाने को वरीयता दी जानी है। राज्य सरकारों को

सलाह दी गयी है कि वे योजना के तहत प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करते समय अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में नए स्कूलों की स्थापना/स्कूलों के उन्नयन को प्राथमिकता दें। वर्ष 2011–12 में मार्च, 2012 तक 356 नए माध्यमिक विद्यालय स्वीकृत किये गये हैं।

(ग) देश के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 374 जिलों में एक–एक मॉडल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 374 जिलों में से 67 जिले अभिनिर्धारित अल्पसंख्यक बहुल जिलों में हैं। 11वीं योजना के दौरान अल्पसंख्यक बहुल जिलों में 14 मॉडल कॉलेजो की स्वीकृत प्रदान की गई है और `2.67 करोड़ की राशि निर्गत की गई है।

(घ) सब–मिशन ऑफ पालीटेक्नीक्स योजना के तहत अन–सर्व्ड और अन्डर–सर्व्ड जिलों में पालीटेक्नीक्स स्थापित किए जाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता दी जाती है। योजना के तहत अल्पसंख्यक बहुल 90 जिलों में से 57 जिले विचारार्थ पात्र हैं। अब तक अल्पसंख्यक बहुल 48 जिलों को पालीटेक्नीक्स की स्थापना के लिए शामिल किया गया है और मार्च, 2012 तक `254.66 करोड़ की राशि अवमुक्त की गयी है।

(ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अल्पसंख्यक विशेषकर मुस्लिम बहुल जिलों/ब्लॉकों में कालेजों और विश्वविद्यालयों में और अधिक बालिका छात्रावासों के प्रावधान को वरीयता दी जाती है। यूजीसी ने 11वीं योजना के दौरान अल्पसंख्यक बहुल जिलों/क्षेत्रों में 285 महिला छात्रावासों की स्वीकृति प्रदान की है तथा मार्च, 2012 तक 203.69 करोड़ रू0 की राशि अवमुक्त की है।

(च) क्षेत्र उन्मुख और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम को संशोधित कर दो योजनाओं में बांटा गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए `325 करोड़ के आवंटन के साथ मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराने की योजना का शुभारंभ किया गया है। इसमें शिक्षकों को बेहतर वेतन प्रदान करने तथा पुस्तकों, शिक्षण सहायता और कम्प्यूटरों के लिए अधिक सहायता प्रदान करने और व्यावसायिक विषयों की शुरुआत करने जैसे आकर्षक प्रावधान शामिल हैं। कुल `150 करोड के बजटीय प्रावधान की तुलना में वर्ष 2011–12 के दौरान `139.53 करोड़ की राशि अवमुक्त की गयी है। दूसरी योजना, सहायता–प्राप्त/सहायता–रहित निजी अल्पसंख्यकों के संस्थानों में अवसंरचना विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी है, जिसे 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए `125 करोड़ के आवंटन के साथ शुरू किया गया है। वर्ष 2011–12 के दौरान `50.00 करोड के बजटीय प्रावधान की तुलना में 259 संस्थानों को `48.43 करोड़ की राशि अवमुक्त की गयी है।

(छ) उच्चत्तर शिक्षा सुलभ कराने की दृष्टि से राज्य मदरसा बोर्डों द्वारा, जिनके प्रमाण–पत्रों और अर्हताओं को संबद्ध राज्य बोर्डों द्वारा समकक्ष माना गया है, जारी प्रमाण–पत्रों को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई), कॉउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया (सीओबीएसई) अथवा/और किसी अन्य स्कूल परीक्षा बोर्ड द्वारा समकक्ष माना जाएगा।

(ज) तीन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों नामतः अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली और मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद में उर्दू माध्यम के अध्यापकों के व्यावसायिक उन्नयन हेतु अकादमी खोले गए हैं। वर्ष 2011–12 के दौरान पुनश्चर्या पाठ्यक्रम/कार्यशालाओं में 5092 उर्दू शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया।

(झ) संशोधित योजना के तहत ऐसे किसी क्षेत्र के सरकारी स्कूल में उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है, जिस क्षेत्र में उर्दू बोलने वालों की आबादी 25% से अधिक हो। वित्तीय सहायता राज्य सरकार के स्कूलों में नियुक्त उर्दू शिक्षकों के लिए प्रचलित वेतन ढांचे पर आधारित होगी। अंश–कालिक उर्दू शिक्षकों को मानदेय भी स्वीकार्य है।

(ञ) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में समुदाय आधारित जागरूकता अभियान चलाने का सुझाव दिया गया है। 410 पात्र जिलों में 372 जिलों में, जहां वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार वयस्क महिला साक्षरत दर 50 प्रतिशत या इससे नीचे है। साक्षर भारत के अंतर्गत 88 मुस्लिम बहुल जिलों में से 61 जिलों को शामिल किया गया।

(ट) संशोधित योजनाओं में जन शिक्षण संस्थानों की परिकल्पना की गई है। वर्तमान में देश में मुस्लिम बहुल 88 जिलों में से 33 जिलों में जन शिक्षण संस्थानों के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षणं दिया जा रहा है।

(ठ) वर्ष 2008–09 से देश के सभी क्षेत्रों में मध्याह्न भोजन योजना को विस्तार दिया गया है तथा इसमें उच्चतर प्राइमरी स्कूलों को भी शामिल किया गया है। मुस्लिम बहुल ब्लॉकों को योजना के तहत शामिल किया जा रहा है।

(ड) सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को विद्यमान स्कूल भवनों और सामुदायिक भवनों को स्कूली बच्चों के लिए अध्ययन केन्द्र के रूप में प्रयोग में लाने की सलाह दी गई है।

(ढ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा – 2005 के आलोक में सभी कक्षाओं के लिए पाठ्यपुस्तकें तैयार की गई हैं। 16 राज्यों ने इसके अनुसार अपने पाठ्यक्रमों को संशोधित कर लिया है, जबकि 5 राज्य ऐसा करने की प्रक्रिया में हैं और 11 राज्य एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करते हैं। 3 संघ राज्य क्षेत्र पड़ोसी राज्यों के पाठ्यक्रमों का अनुसरण किया है।

(ण) अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सामाजिक बहिष्करण और समावेशी नीति के अध्ययन हेतु 35 विश्वविद्यालयों ने अध्ययन केन्द्र की शुरूआत की है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2009–10 के दौरान 51 विश्वविद्यालयों में 1280 समान अवसर केन्द्रों की स्थापना की गई है तथा वर्ष 2010–11 और 2011–12 में क्रमशः 1345 और 1367 ऐसे केन्द्र खोले जाने प्रस्तावित हैं।

3 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय :

(क) समान अवसर आयोग की कार्य प्रणाली और संरचना संबंधी अध्ययन और अनुशंसा के लिए गठित विशेषज्ञ दल ने अपनी रिपोर्ट 13 मार्च, 2008 को सौंपी। असमानता सूचकांक की अवधारणा के समान अवसर आयोग में शामिल किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को छोड़कर सभी मंत्रालयों/विभागों से टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं। समान अवसर आयोग के कार्य क्षेत्र और अधिकार क्षेत्र के बारे में अंतिम राय बनाने के उद्देश्य से विशेषज्ञों, बुद्धि जीवियों, शिक्षाविधों से परामर्श किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करने का विधेयक 27 अप्रैल, 2010 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और यह 7 मई, 2010 को पारित हुआ। इसके बाद इसे राज्य सभा को भेजा गया। यह विधेयक राज्य सभा की चयन समिति के पास भेजा गया। चयन समिति की कई बैठकें आयोजित हुईं। चयन समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और वक्फ संशोधन विधेयक के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा इसकी पुनरीक्षा कर ली गयी है। सभी मंत्रालयों/विभागों को मसौदा संशोधन विधेयक पर उनका अभिमत प्राप्त करने के लिए मसौदा मंत्रिमंडल नोट परिचालित किया जाएगा। प्रस्तावित वक्फ़ अधिनियम के प्रभावी होने के पश्चात राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वक्फ नियम बनाए जाएंगे।

(ग) सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) की पुनर्संरचना को "सिद्धान्ततः" स्वीकृति प्रदान कर दी है। एनएमडीएफसी की पुनर्संरचना संबंधी ब्यौरे तैयार करने हेतु एक कंसल्टेन्सी फर्म को नियुक्त किया गया। फर्म ने मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसकी मंत्रालय में जांच की गई। एनएमडीएफसी की पुनर्संरचना को

अंतिम रूप देने के लिए सचिव (अ0का0) की अध्यक्षता में वित्त सेवा विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक और एनएबीएडी के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित कर दी गई है। उच्च स्तरीय समिति ने अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(घ) अल्पसंख्यक बहुल चिन्हित 338 नगरों के समग्र विकास हेतु उपयुक्त कार्यनीति और कार्ययोजना तैयार करने के लिए गठित अंतरमंत्रालयीन कार्य दल द्वारा 08 नवम्बर, 2007 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। संबंधित मंत्रालयों/विभागों को इन 338 नगरों में अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई है।

(ङ) अल्पसंख्यक समुदाय के लिए तीन छात्रवृत्ति योजनाएं नामतः – पहली से दसवीं कक्षा के लिए *मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना*, 11वीं से पीएच0डी तक की शिक्षा के लिए *मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना* और स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए *मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना* शुरू की गई है। इन योजनाओं के तहत वर्ष 2011–12 में दिनांक 31 मार्च, 2012 तक अल्पसंख्यक समुदाय के 62.72 लाख छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए `1094.94 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एम0फिल और पीएच0डी के छात्रों के लिए *मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति* नामक योजना भी कार्यान्वयनाधीन रही। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 756 अध्येतावृत्तियां और 3778 अध्येतावृत्ति नवीकरण के मामले स्वीकृत किए गए हैं और मार्च, 2012 तक `51.98 करोड़ की वित्तीय सहायता निर्मुक्त की गयी है।

(च) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की `100 करोड़ की संचित निधि को दिसम्बर, 2006 में दूना बढ़ाकर `200 करोड़ कर दिया गया था। संचित निधि में 11वीं योजना अवधि के दौरान वृद्धि कर `750 करोड़ कर दिया गया था। प्रतिष्ठान की योजनाओं के तहत वर्ष 2007–08 से 419 गैर–सरकारी संगठनों को शैक्षिक संस्थानों में अवसंरचना विकास के लिए सहायता–अनुदान प्रदान किया गया तथा 11वीं और 12वीं कक्षा की मेधावी छात्राओं को 48471 छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं।

(छ) वर्ष 2006–07 में संशोधित कोचिंग एवं संबद्ध योजना की शुरूआत हुई थी। वर्ष 2011–12 के लिए 6000 अभ्यर्थियों को कोचिंग देने के लक्ष्य की तुलना में अल्पसंख्यक समुदायों से संबद्ध 7830 छात्रों/अभ्यर्थियों को कोचिंग देने हेतु वित्तीय सहायता दी गयी। कुल `16.00 करोड़ के बजटीय प्रावधान की तुलना में दिनांक 31.03.2012 तक `15.98 करोड़ की राशि निर्मुक्त की गयी।

(ज) वर्ष 2008–09 में अल्पसंख्यक बहुल 90 चिन्हित जिलों में बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम शुरु किया गया। योजना की शुरूआत से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, बिहार, मेघालय, झारखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, उत्तराखंड, मिजोरम, जम्मू और कश्मीर, दिल्ली, मध्यप्रदेश, सिक्किम और अरूणाचल प्रदेश राज्यों में अल्पसंख्यक बहुल 90 जिलों की योजनाओं को (70 जिलों की योजनाओं को पूर्णतः और 20 जिलों की योजनाओं को आंशिक) स्वीकृति प्रदान की गई तथा कार्यक्रम की शुरूआत से 31 मार्च, 2012 तक `2941.60 करोड़ की राशि राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को निर्मुक्त की गयी।

4 सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय :

राष्ट्रीय डाटा बैंक स्थापित करने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में एक पृथक सेल सृजित किया जा रहा है। मंत्रालय ने ब्लॉक स्तर से डाटा शीघ्र भेजे जाने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सर्व शिक्षा अभियान के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वर्ण जंयती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, मनरेगा और प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को पत्र भेजा है।

5 योजना आयोग :

(क) उचित एवं सुधारात्मक नीतिगत निर्णय लेने के लिए एकत्र किए गए आंकड़ों के विश्लेषण हेतु योजना आयोग में स्वायत्त **आकलन एवं निगरानी प्राधिकरण** स्थापित किया गया है। चूंकि दिनांक 15 जनवरी, 2011 को आकलन एवं निगरानी प्राधिकरण का कार्यकाल समाप्त हो गया, इसलिए योजना आयोग ने आकलन एवं निगरानी प्राधिकरण का पुनर्गठन किया और नवपुनर्गठित आकलन एवं निगरानी प्राधिकरण ने कुछ बैठकें आयोजित की हैं।

(ख) योजना आयोग में कौशल विकास कार्य में तेजी लाने के लिए एक विस्तृत सांस्थानिक तंत्र स्थापित किया गया है ताकि अल्पसंख्यकों सहित देश भर के कौशल विकास से जुड़ी अवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। इसमें शामिल हैं – *नेशनल कॉउंसिल ऑन स्किल डेवलपमेंट, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन बोर्ड और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन*।

6 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग :

(क) सरकारी कर्मचारियों की जानकारी हेतु कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा एक प्रशिक्षण माड्यूल विकसित किया गया है। ये माड्यूल प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय/राज्य प्रशिक्षण संस्थानों को भेजे गये हैं।

(ख) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने राज्य सरकारों और संघ राज्य–क्षेत्रों को सलाह दी है कि वे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में थानों में मुस्लिम पुलिस कार्मिक तथा मुस्लिम स्वास्थ्य कार्यकर्ता और शिक्षकों की तैनाती करें। गृह मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भी दिशा–निर्देश जारी कर राज्यों/संघ राज्यों से ऐसी ही कार्रवाई करने की सलाह दी है।

7 गृह मंत्रालय :

राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के कार्यकारी समूह द्वारा "साम्प्रदायिक एवं लक्षित हिंसा निवारण (न्याय एवं क्षतिपूर्ति तक पहुंच) विधेयक, 2011" शीर्षक से विधेयक का प्रारूप तैयार किया। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद द्वारा विधेयक को दिनांक 25.7.2011 को गृह मंत्रालय को भेजा गया है। गृह मंत्रालय द्वारा विधेयक के प्रारूप की समीक्षा की जा रही है।

8 शहरी विकास मंत्रालय और आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय :

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम), लघु एवं मध्यम नगरों में शहरी अवसंरचना विकास की योजना (यूआईडीएसएसएमटी), समेकित आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के तहत अल्पसंख्यक बहुल नगरों और शहरों में धनराशि के प्रवाह के आवश्यक उपाय किए गए हैं, ताकि ऐसे नगरों से संबंधित *विस्तृत परियोजना रिपोर्ट* में अल्पसंख्यकों के लिए पर्याप्त प्रावधान शामिल हों। 2011–12 के दौरान प्रगति निम्नानुसार है :–

(क) यू आई डी एस एस एम टी के अंतर्गत अल्पसख्यक बहुल 88 नगरों के लिए `2672.34 करोड़ स्वीकृत किये गये हैं।

(ख) आई०एच०एस०डी०पी० के तहत `1962.34 करोड़ लागत की परियोजनायें अल्पसख्यक बहुल आबादी वाले 102 नगरों के लिए हैं।

(ग) बी0 एस0 यू0 पी0 के तहत 17 नगरों के लिए `30094.92 करोड़ की कुल परियोजना लागत में से `7174.67 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।

(घ) यूआईजी के अंतर्गत 17 नगरों के लिए 9248.63 करोड़ रु0 स्वीकृत किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, लक्षदीप, पुडूचेरी और केरल राज्य सरकारों को वक्फ बोर्ड परिसंपत्तियों पर किराया नियंत्रण अधिनियम से छूट दी गई है, जबकि अरूणाचल प्रदेश और नागालैंड राज्यों ने सूचित किया है कि उनके राज्य में वक्फ परिसंपत्ति नहीं है।

9 श्रम और रोजगार मंत्रालय :

असंगठित क्षेत्र में, जिसमें अन्य के साथ–साथ गृह आधारित कामगार शामिल हैं, कामगारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए संसद द्वारा एक विधेयक पारित किया गया है।

10 संस्कृति मंत्रालय :

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन आने वाले वक्फों की सूची की समीक्षा के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के परिमंडलों की राज्य वक्फ बोर्डों के साथ बैठकें आयोजित की गयी हैं।

11 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय :

अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से जुड़ी योजनाओं से संबंधित सूचनाओं का प्रचार–प्रसार क्षेत्रीय भाषाओं में किया जा रहा है।

12 पंचायती राज/शहरी विकास मंत्रालय :

पंचायती राज मंत्रालय तथा शहरी विकास मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को स्थानीय निकायों में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की स्थिति में सुधार लाने की सलाह दी गई है।

13 सूचना और प्रसारण मंत्रालय :

सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा नियमित रूप से अल्पसंख्यकों के कल्याण से जुड़े विभिन्न विषयों पर वृत्त–चित्र जारी किए जाते रहे हैं। इन वृत्त–चित्रों में छात्रवृत्ति योजनाओं तथा सच्चर समिति रिपोर्ट के अनुसरण में की गई क्षेत्र संबंधी पहलों से संबंधित जानकारी शामिल की गयी है।

****

परिशिष्ट - बारह

भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1653
उत्तर देने की तारीख 07.03.2013

समान अवसर आयोग की स्थापना

1653. श्री एस0आर0 जेयदुरई :

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का समान अवसर आयोग जिसका कि न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति ने सिफारिश की थी, की स्थापना का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बहुत से लाभ जो अल्पसंख्यक समुदाय को मिलने चाहिए थे, कमजोर निगरानी तंत्र और भ्रष्टाचार के कारण उनको नहीं मिले हैं; और

(घ) यदि हां, तो निगरानी तंत्र को सुधारने और वक्फ की सम्पत्तियों को अतिक्रमण और दुरुपयोग से सुरक्षा के लिए भी सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री **(श्री निनोंग ईरींग)**

(क) **और (ख):** समान अवसर आयोग की स्थापना करने की सच्चर समिति की अनुशंसा पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के अधीन अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित वंचित समूहों के लिए समान अवसर आयोग स्थापित करने का निर्णय लिया है। समान अवसर आयोग विधेयक के मसौदे पर सरकार विचार कर रही है।

(ग) **और (घ):** अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ क्रियान्वित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत परिकल्पित लाभ लक्षित समूहों तक पहुंच रहे हैं। इसे सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, संबंधित मंत्रालयों/विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ मिलकर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा सच्चर समिति की अनुशंसाओं तथा प्रधानमंत्री के नए 15–सूत्री कार्यक्रय की प्रगति की तिमाही आधार पर मानीटरिंग तथा समीक्षा की जाती है। इसके अलावा, सचिवों की समिति द्वारा छमाही आधार पर प्रगति की मानीटरिंग की जाती है तथा केंद्रीय मंत्रिमंडल को सूचित किया जाता है। राज्य स्तर पर, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उक्त कार्यक्रम की मानीटरिंग के लिए राज्य–स्तरीय तथा जिला स्तरीय समितियां गठित करने की सलाह दी गई है।

जहां तक वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा का संबंध है, सरकार राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण की योजना को क्रियान्वित कर रही है जिसके अंतर्गत वक्फ अभिलेखों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उनकी रिकार्ड–कीपिंग, अंकीकरण और संरक्षण को कारगर बनाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के वक्फ बोर्डों को वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है। इसके अलावा, वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 32 के अनुसार, यह संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के वक्फ बोर्ड का दायित्व है कि वक्फ संपत्तियों का समुचित ढंग से रख–रखाव, नियंत्रण तथा संचालन हो तथा उनका अतिक्रमण न हो, जबकि धारा 54 में संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र की सहायता से वक्फ संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने का प्रावधान किया गया है।

*****

भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या - 346

दिनांक - 21.03.2013

अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव

346. श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर: क्या अल्पसंख्यक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अल्पसंख्यकों के प्रति रोजगार

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऐसे भेदभाव के प्रति सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है;

(ग) क्या सच्चर समिति ने सरकार को अल्पसंख्यकों

के प्रति भेदभाव संबंधी शिकायतों का समाधान करने हेतु एक विधिक तंत्र बनाने की सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री के. रहमान खान): (क) और (ख) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना उन कार्यों के निष्पादन के लिए की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अल्पसंख्यकों के अधिकारों का वंचन एवं रक्षोपायों के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना और ऐसे मामलों को उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ मिलकर उठाना शामिल है। तद्नुसार, सेवा मामलों, शिक्षा संबंधी मामलों, आर्थिक मामलों, वक्फ मामलों आदि से संबंधित प्राप्त शिकायतों का निपटान कर दिया गया है अथवा निपटान के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ उठाया गया है। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्राप्त शिकायतों की सं.	निपटाए गए/उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ उठाए गए मामलों की सं.	जांच/प्रक्रियाधीन मामलों की संख्या
2009-10	2268	2268	शून्य
2010-11	2378	2378	शून्य
2011-12	2439	2439	शून्य
2012-13 (19 मार्च, 2013 तक)	1989	1395	594

(ग) और (घ) सच्चर समिति की सिफारिश के अनुसार, सरकार ने अल्पसंख्यकों के वंचित समूहों की शिकायतों की जांच करने के लिए समान अवसर आयोग (ई.ओ.सी.) की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है। विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट के आधार पर तैयार कि गए ई.ओ.सी. विधेयक के मसौदे की संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ सलाह-मशविरा करके जांच की गई है। ई.ओ.सी. संबंधी प्रारूप विधेयक पर विचार करते हुए मंत्रिमंडल ने ई.ओ.सी. की स्थापना और इसके क्षेत्राधिकार से संबंधित मुद्दों सहित सभी मुद्दों की जांच करने के लिए मंत्रियों के समूह (जी.ओ.एम.) का गठन किया है। मंत्रियों के समूह ने अल्पसंख्यक समुदायों के लिए समान अवसर आयोग की स्थापना करने की अनुशंसा की है। तद्नुसार, अल्पसंख्यकों के लिए समान अवसर आयोग विधेयक, 2013 का मसौदा तैयार कर लिया गया है, जो सरकार के विचाराधीन है।

परिशिष्ट - चौदह

भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3093
उत्तर देने की तारीख 29.08.2013

ईओसी की स्थापना

3093. श्री आनंदराव अडसुल :
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री गजानन ध. बाबर :

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार समान अवसर आयोग (ईओसी) की स्थापना हेतु विधेयक लाने का है;

(ख) यदि हां तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और ईओसी को दी जाने वाली प्रस्तावित शक्तियां क्या हैं; और

(ग) इसे कब तक पुरःस्थापित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री (श्री निनोंग ईरींग)

(क) से (ग): समान अवसर आयोग (ईओसी) की स्थापना करने हेतु विधेयक प्रस्तुत करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

*****

भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 220
उत्तर देने की तारीख 05.12.2013

ईओसी की स्थापना

220. शेख सैदुल हक :

क्या अल्पसंख्यक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सम अवसर आयोग (ईओसी) की स्थापना करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) राष्ट्रीय डाटा बैंक की स्थापना के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;
(घ) क्या राष्ट्रीय कौशल विकास बोर्ड एवं राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने अल्पसंख्यकों के विकास के लिए विभिन्न राज्यों में कोई कदम उठाए हैं;
(ङ) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) प्राथमिक क्षेत्र उधार का समुदाय–वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री के. रहमान खान)

(क) और (ख): जी, हाँ। न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) राजेन्द्र सच्चर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने अन्य बातों के साथ–साथ वंचित समूहों की शिकायतों पर ध्यान देने के लिए समान अवसर आयोग (ईओसी) की स्थापना की सिफारिश की थी। सरकार ने अन्य बातों के साथ–साथ समान अवसर आयोग की संरचना और कार्यों की जाँच और निर्धारण के लिए एक विशेषज्ञ समूह की स्थापना की है। विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट, इस उद्देश्य के लिए गठित मंत्रियों के समूह और विभिन्न हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/इनपुटों के आधार पर समान अवसर आयोग की स्थापना हेतु समान अवसर आयोग विधेयक मसौदा सरकार के विचाराधीन है।

(ग): सच्चर समिति की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में राष्ट्रीय डाटा बैंक की स्थापना का अधिदेश सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को सौंपा गया था। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट पर एक राष्ट्रीय डाटा बैंक वेबपेज का निमार्ण किया गया है जिसमें वर्तमान में जनसंख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य और श्रम एंव रोजगार पर 97 तालिकाएं हैं।

(घ) और (ङ): कौशल विकास पर प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय परिषद्, राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वयन बोर्ड और कौशल विकास पर प्रधानमंत्री के सलाहकार का कार्यालय को राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण (एनएसडीए) में सम्मिलित कर लिया गया है। एनएसडीए वित्त मंत्रालय में स्थित एक स्वायत्त निकाय है। एनएसडीए को दिए गए मुख्य कार्यों में से एक वंचित तथा हाशिए पर स्थित समूहों जैसे अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अल्पसंख्यकों, महिलाओं और निःशक्तजनों की जरूरतों को पूरा करना है। अब तक सबसे पहले जहाँ तक राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वय बोर्ड का संबंध है, इसका मुख्य कार्य देश में कौशल विकास क्रियाकलापों का समन्वय करना था। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) का गठन वित्त मंत्रालय के अंतर्गत मुख्यतः कौशल विकास में निजी क्षेत्र पहलों को उत्प्रेरित करने के लिए एक गैर–लाभकारी कंपनी के रूप में किया गया है। अलग–अलग मंत्रालय अल्पसंख्यकों सहित विभिन्न सामाजिक–समूहों के लिए लक्षित, योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहे है।

(च): 2012–13 और 2013–14 (सितम्बर, 2013 तक) समुदाय–वार प्राथमिक क्षेत्र ऋण के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों की अल्पसंख्यक समुदायों पर बकाया राशि					
	मुस्लिम	ईसाई	सिक्ख	बौद्ध	पारसी	कुल योग
2012–13 (31.03. 2013 तक)	83780.25	45469.65	41433.86	12260.86	2289.91	185234.35
2013–14 (30.09. 2013 तक)	93600.50	42968.43	54729.80	4278.67	3528.07	199105.47

*****

परिशिष्ट - सोलह

भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1170
उत्तर देने की तारीख : 12.12.2013

वंचित व्यक्ति

1170. श्री प्रदीप कुमार सिंह :

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार समाज के सभी तबकों के वंचित व्यक्तियों को समान अवसर आयोग (ईओसी) के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत लाने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री **(श्री निनोंग ईरींग)**

(क) और (ख): न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) राजेन्द्र सच्चर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने अन्य बातों के साथ–साथ वंचित समूहों की शिकायतों पर ध्यान देने के लिए समान अवसर आयोग (ईओसी) की स्थापना की सिफारिश की थी। सरकार ने अन्य बातों के साथ–साथ समान अवसर आयोग की संरचना और कार्यों की जाँच और निर्धारण के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया था। विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट, इस उद्देश्य के लिए गठित मंत्रियों के समूह और विभिन्न हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/इनपुटों के आधार पर, अल्पसंख्यक समुदायों के वंचित समूहों के लिए समान अवसर आयोग की स्थापना हेतु समान अवसर आयोग विधेयक मसौदा सरकार के विचाराधीन है।

*****

परिशिष्ट- सत्तह

भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 440
उत्तर देने की तारीख : 25.02.2015

समान अवसर आयोग

440. श्री राजेश कुमार दिवाकरः

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार सभी वंचित तबकों को समान अवसर प्रदान करने के लिए देश में सभी समुदायों के लिए समान अवसर आयोग की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्रियान्वित की जा रही/क्रियान्वित किए जाने हेतु संभावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नकवी)

(क) से (ग) : सच्चर समिति की सिफारिश के अनुसरण में, सरकार ने अन्य बातों के साथ–साथ, वंचित समूहों की शिकायतों का समाधान करने के लिए समान अवसर आयोग की संरचना की जांच तथा निर्धारण हेतु एक विशेषज्ञ समूह गठित किया था। विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट तथा मंत्रियों के समूह की सिफारिशों के आधार पर, केवल अधिसूचित अल्पसंख्यकों हेतु समान अवसर आयोग विधेयक, 2013 का मसौदा संसद के समक्ष विधेयक प्रस्तुत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा फरवरी, 2014 में अनुमोदित कर दिया गया था। इसी बीच, मई, 2014 में नई सरकार के गठन के साथ मौजूदा निर्देशों के अनुसार इस मामले पर नए सिरे से विचार–विमर्श किए जाने की जरूरत है। तद्नुसार, समान अवसर आयोग विधेयक, 2013 के साथ मसौदा मंत्रिमंडल नोट अंतरमंत्रालयीय परामर्शाधीन है। परामर्शनों के पश्चात् इस मामले पर समुचित रूप में विचार किया जाएगा।

*****

परिशिष्ट- अठारह

भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : *535
उत्तर देने की तारीख : 04.04.2018

सच्चर समिति

*535. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सच्चर समिति ने "समान अवसर आयोग" का गठन किए जाने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नकवी)

(क) और (ख): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

"सच्चर समिति" के बारे में श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर द्वारा पूछे गए एवं 04.04.2018 को उत्तर के लिए निर्धारित लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *535 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): सच्चर समिति ने अन्य बातों के साथ–साथ वंचित समूहों की शिकायतों का समाधान करने के लिए समान अवसर आयोग (ईओसी) की संरचना एवं कार्यों की जांच एवं निर्धारण करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह की स्थापना करने की अनुशंसा की थी। तद्नुसार, मंत्रालय द्वारा प्रो. (डॉ.) एन.आर. माधव मेनन की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था।

विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट तथा सरकार द्वारा की गई जांच के आधार पर समान अवसर आयोग विधेयक, 2013 का मसौदा जांच और परामर्शन की प्रक्रिया से गुजरा है जैसा कि संसद के किसी अधिनियम के जरिए सांविधिक निकाय के रूप में अल्पसंख्यकों हेतु समान अवसर आयोग की स्थापना करने के लिए आवश्यक है तथा चूंकि विभिन्न विचार सामने आए हैं, अतः प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

परिशिष्ट - उन्नीस

भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4093
उत्तर देने की तारीख : 17.12.2014

अल्पसंख्यक समुदायों हेतु शिक्षा योजनाएं

4093. श्री सत्यपाल सिंहः
श्री हेमन्त तुकाराम गोडसेः

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान वर्ष–वार मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में गैर–सरकारी संगठनों द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता कितनी है;

(ख) क्या मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान किसी एक विशिष्ट समुदाय से संबंधित है और यदि नहीं, तो अन्य शेष अल्पसंख्यक समुदायों से सदस्यों को नामित न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के अंतर्गत पांच विश्वविद्यालयों की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है और किन एजेन्सियों के माध्यम से निर्माण कार्य किए जा रहे हैं और इन्हें किए गए भुगतानों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या इस परियोजना हेतु निविदाएं जारी करने का उपबंध है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नकवी)

(क): मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ) ने महाराष्ट्र में गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) के लिए 506.75 लाख रु0 का सहायता अनुदान मंजूर किया है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान वर्ष–वार सहायता निम्नानुसार हैः–

वर्ष	राशि (लाख रु0 में)
2011–12	199.00
2012–13	187.75
2013–14	120.00
2014–15 (11.12.2014 तक)	शून्य
योग	**506.75**

(ख): मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ) की स्थापना विशेषतः शैक्षिक तौर पर पिछड़े अल्पसंख्यकों और सामान्यतः कमजोर वर्गों के लाभों के लिए शैक्षिक योजनाएं तैयार करने और उन्हें क्रियान्वित करने के उद्देश्य से की गई है। एमएईएफ के सामान्य निकाय में 15 सदस्य शामिल है, जिनमें 6 पदेन सदस्य और 9 अध्यक्ष एमएईएफ द्वारा नामित किए जाते हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों और व्यवसायों से शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों से होते हैं।

(ग) और (घ): अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों के बीच उच्चतर शिक्षा के संवर्धन हेतु प्रो0 सुखदेव थोराट समिति ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में 5 (पांच) विश्व विद्यालयों की स्थापना की अनुशंसा की है। रिपोर्ट के आधार पर और अल्पसंख्यकों की आबादी को ध्यान में रखते हुए, इस मंत्रालय ने मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल), मलप्पुरम (केरल), किसनगंज (बिहार), अजमेर (राजस्थान), कोलार (कर्नाटक) तथा अमेठी (उत्तर प्रदेश) में विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु 6 जिलों पर विचार किया है। श्रीरंगपट्टनम में भूमि उपलब्ध न होने की वजह से स्थान बदलकर कर्नाटक में कोलार जिला कर दिया है।

इन 6 (छह) स्थानों में से मुर्शिदाबाद, मलप्पुरम और किसनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के तीन कार्यरत् केंद्र है, जिनका वित्त पोषण मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जिन्हें उन्नयन हेतु समुचित समझा गया।

एमएईएफ ने इस मंत्रालय के परामर्श से इस विषय पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) के एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम एजूकेशनल कंसलटेंट इंडिया लिमिटेड (एडसिल) को लगाया है।

(ङ): प्रश्न नहीं उठता।

*****

भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : *45
उत्तर देने की तारीख : 27.04.2016

स्टार्ट अप इंडिया स्टैंड अप इंडिया

*45. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और महिला उद्यमियों को रु. 10 लाख से एक करोड़ तक के ऋणों की गारंटी देने वाला 'स्टार्ट अप इंडिया स्टैंड अप इंडिया' कार्यक्रम हाल ही में शुरू किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अल्पसंख्यकों को भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वित्त मंत्रालय ने दो ऋण गारंटी निधियों की स्थापना की स्वीकृति दे दी है जिससे कि बैंक ऋण देने में अनिच्छा नहीं दर्शाएंगे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम का विचार भी 'स्टार्ट अप इंडिया स्टैंड अप इंडिया' योजना का हिस्सा बनने और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं की तर्ज पर गारंटी योजनाओं में अल्पसंख्यकों को ऋण प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री **(डॉ0 नजमा ए. हेपतुल्ला)**

(क) से (ङ): सदन के पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

*****

"स्टार्ट अप इंडिया स्टैंड अप इंडिया" कार्यक्रम के बारे में श्री असादुद्दीन ओवैसी द्वारा पूछे गये तथा दिनांक 27.04.2016 को उत्तर के लिए निर्धारित लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 45 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): भारत सरकार की **"स्टार्ट अप इंडिया"** पहल देश में अभिनव–परिवर्तन और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए एक मजबूत आर्थिक प्रणाली (इको–सिस्टम) के निर्माण के लिए 16 जनवरी, 2016 को शुरू की गई है। इस पहल का उद्देश्य स्टार्टअप इको–सिस्टम के विभिन्न घटकों की सहायता करते हुए अभिनव–परिवर्तन और डिजाइन के जरिए प्रगति करने के लिए स्टार्टअप्स को सशक्त बनाना है। कार्य योजना में निम्नलिखित शामिल हैं–

1. **साधारणीकरण और हैंडहोल्डिंग–**
   - स्व–प्रमाणन के आधार पर स्टार्टअप्स के लिए साधारण अनुपालन शासन–प्रणाली
   - अनुपालन और सूचना के आदान–प्रदान के लिए मोबाइल ऐप और पोर्टल लांच करना
   - इसके विकास के विभिन्न चरणों के दौरान स्टार्टअप की सहायता के लिए स्टार्टअप इंडिया हब
   - कम दरों पर फास्ट ट्रैकिंग पेटेंट परीक्षण के लिए कानूनी सहायता
   - स्टार्टअप्स के लिए सार्वजनिक खरीद के मानदंडों में ढील
   - स्टार्टअप्स के लिए तेजी से निकास

2. **वित्त–पोषण सहायता और प्रोत्साहन–**
   - 10,000/- करोड़ रु. की समग्र निधि वाली निधियों की निधि के जरिए वित्त–पोषण सहायता प्रदान करना
   - स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी फंड
   - निधियों की निधि में निवेश किए गए पूंजीगत लाभों पर कर में छूट
   - स्टार्टअप्स के लिए 3 वर्ष तक कर में छूट

3. **उद्योग–अकादमिया भागीदारी और इन्क्यूबेषन –**
   - अभिनव–परिवर्तनों को दर्शाने और सहयोग प्लेटफार्म प्रदान करने के लिए स्टार्टअप मेले आयोजित करना
   - नीति आयोग के स्वरोजगार एवं प्रतिभा उपयोग (एसईटीयू) कार्यक्रम के साथ अटल अभिनव–परिवर्तन मिशन (एआईएम) लांच करना
   - इन्क्यूबेटर्स स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता का उपयोग करना
   - आईआईटी मद्रास में स्थापित अनुसंधान पार्क के मॉडल पर सात नए अनुसंधान पार्क स्थापित करना
   - छात्रों के लिए अभिनव–परिवर्तन अभिकेन्द्रित कार्यक्रम लांच करना
   - इन्क्यूबेटरों में अच्छी प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के लिए वार्षिक इन्क्यूबेटर महा चुनौती

"स्टैंड अप इंडिया" योजना 5 अप्रैल, 2016 को शुरू की गई है। स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य ट्रेडिंग, सेवाओं या निर्माण में एक ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए कम से कम एक अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति कर्जदार और कम से कम एक महिला कर्जदार को प्रति बैंक शाखा की दर से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से 10 लाख रु. और 1 करोड़ रु. के बीच बैंक ऋण प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करना है।

(ग): भारत सरकार ने दो ऋण गारंटी योजनाएं अर्थात स्टैंड अप इंडिया और मुद्रा स्थापित की हैं जिनका ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है:–

(i) **स्टैंड अप इंडिया ऋण** : भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया के अधीन ऋणों के लिए 2016–17 में 500 करोड़ रु. से शुरू करते हुए अगले 5 वर्षों में 5000 करोड़ रु. की समग्र निधि के साथ एक ऋण गारंटी निधि स्थापित की है। इस निधि में अधिकतम 40 लाख की शर्त के अधीन 10 लाख रु. से अधिक और 50 लाख रु. तक की क्रेडिट सुविधा के लिए डिफाल्ट में राशि के 80% तक के गारंटी कवर की संकल्पना है। 50 लाख रु. से अधिक और 100 लाख रु. तक की क्रेडिट सुविधा के लिए – 40 लाख रु. + डिफाल्ट में 50 लाख रु. से ऊपर की राशि का 75% बशर्ते कि डिफाल्ट में राशि की संपूर्ण ऊपरी सीमा 65 लाख रु. से अधिक न हो।

(ii) **मुद्रा ऋण** : भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अधीन प्रदान किए जाने वाले ऋणों के लिए 3000 करोड़ रु. समग्र निधि के साथ माइक्रो यूनिटों (सीजीएफएमयू) के लिए ऋण गारंटी निधि स्थापित की है जो डिफाल्ट में राशि के 50% तक पोर्टफोलियो आधार पर प्रदान की जाती है।

(घ) से (ङ): राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम आर्थिक रूप से व्यवहार्य उद्यमों के लिए सावधि ऋण योजना के अधीन अधिसूचित अल्पसंख्यकों को पहले ही रियायती दरों पर 30.00 लाख रु. तक का ऋण प्रदान करता है। एनएमडीएफसी की व्यावसायिक योजना के अधीन लक्षित समूह की स्किलिंग/रीस्किलिंग/अपस्किलिंग भी की जाती है जिससे प्रशिक्षार्थियों को रोजगार मिलता है। स्वरोजगार उद्यम शुरू करने के इच्छुक प्रशिक्षार्थियों को एनएमडीएफसी की रियायती ऋण योजनाओं के अधीन प्राथमिकता दी जाती है। इसके अतिरिक्त अधिकतम 5 वर्षों की अवधि के लिए तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम करने के लिए एनएमडीएफसी की शैक्षिक ऋण योजना के अधीन घरेलू पाठ्यक्रम के लिए 20.00 लाख रु. और विदेश में पाठ्यक्रम के लिए 30.00 लाख रु. तक का रियायती ऋण प्रदान किया जा रहा है।

एनएमडीएफसी की योजनाएं अधिसूचित अल्पसंख्यकों, अर्थात् मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैनों में पिछड़े वर्गों के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा नामित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

*****

(Q.NO. 45)

SHRI ASADUDDIN OWAISI : Madam, with your permission I want to ask a very pointed and specific question to the hon. Minister and I hope that she will give a specific and pointed reply to my question.

Madam, I would like to know from the hon. Minister whether it is not true that the 66th round of National Sample Survey data said that among the major religious groups, the proportion of urban households with major source of earnings as self-employment was highest for Muslims, that is, 46 per cent. The Prime Minister also said that if one can employ five people, he or she is contributing enough to the nation. Stand Up India is dedicated to women and to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people but not for minorities. My question to the hon. Minister is, how many Government's private or PPP model incubators, technology design and support centres or technology business incubators are located in 90 MCDs? Are there subsidies on incubation amount and support amount for Muslim and minority youth in this area? Is the Ministry earmarking grants like in the big PRISM Scheme for the Muslim and minority youth?

डॉ. नजमा ए. हेपतुल्ला : मैडम, यह जो स्कीम है स्टार्टअप इंडिया, यह अभी अनाउंस हुई है। प्रधान मंत्री ने जब वह नेशन को अगस्त में संबोधित कर रहे थे तो दो स्कीम्स की घोषणा की थी - एक स्टार्टअप इंडिया, दूसरी स्टैंडअप इंडिया और स्डटैंडअप इंडिया के अंदर स्किल की। जो स्टार्टअप इंडिया की स्कीम है, उसका मतलब है इनोवेशन। हमारे देश में इनोवेशन की कमी हो गई थी। पुराने ज़माने में, प्राचीन काल में हिन्दुस्तान ने नंबर दिए, न्यूमरिकल्स दिए, बहुत कुछ रिसर्च हो रही थी, मगर इनोवेशन बिल्कुल नहीं हो रहा था। इसलिए यह स्कीम शुरू की गई है और इसको अभी लांच किया गया है। इसका डैटा अभी जमा नहीं हुआ है। हमारे माननीय सदस्य ने जो सवाल किया, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और यह मेरे मंत्रालय से ताल्लुक भी नहीं रखता है। यह डायरैक्ट दूसरी मिनिस्ट्री का सवाल है...(व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी: मैडम, आपने इसको एडमिट किया है। इस क्वश्चन को आपने एडमिट किया है, यह जवाब नहीं है।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: She is replying to your question. Owaisi ji, please sit down. She is not saying 'no'. Let her complete her reply.

... (*Interruptions*)

डॉ. नजमा ए. हेपतुल्ला: ओवैसी साहब, इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है। शान्ति से सुनिये, मैं जवाब दे रही हूं। इसे स्पीकर साहब ने एडमिट किया है, मैंने भी एडमिट किया है। मैं चाहती तो इस सवाल को भेज देती। मैंने नहीं भेजा, इसीलिए मैं जवाब दे रही हूं कि अभी इसका डाटा तैयार नहीं है, जैसे ही डाटा तैयार होगा, मैं आपको पर्सनली भेज दूंगी और सदन के पटल पर भी रख दूंगी। यह एक इन्नोवेटिव स्कीम है, जो प्रधानमंत्री ने सोची। हमारे प्रेसीडेंट साहब के यहां पिछले महीने एक एग्जीबीशन हुई थी और उस एग्जीबीशन में जो इन्नोवेटिव यंग साइंटिस्ट्स हैं, उन्होंने इन्नोवेशन बताया था। इस स्कीम के जरिये जो इन्नोवेशन होंगे, उनके हैंड होल्डिंग होगी, उनको सपोर्ट दी जायेगी, फाइनेंशियल सपोर्ट दी जायेगी, उनको इक्विपमेंट की सपोर्ट दी जायेगी, चूंकि वे इस काबिल नहीं हैं कि वे एक्सपेंसिव मशीनरी और इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल कर सकें। मैं समझती हूं कि सालों के बाद इस तरह की स्कीम यहां हमारे देश में आई है और यह हमारे नौजवानों को प्रोत्साहन देगी। जवाब तो मैंने आपको इसका दिया।

जहां तक माइनोरिटी का ताल्लुक है कि कितने माइनोरिटीज़ के लोगों के डिस्ट्रिक्ट्स में इन्क्यूबेटर्स लगे हैं, उसकी मालूमात जैसे ही आती है, मैं आपको दे दूंगी।

SHRI ASADUDDIN OWAISI: My second supplementary to the hon. Minister is that one of the eligibility criteria is that the product or service should be new one or a significantly improved version of existing services or products. There are a lot of IPs generated by Muslims and minority craftsmen. An IP can be in a form of product design patent or product process patent.

I want to know whether innovation under craftsmanship and arts can be considered innovative. Are there any plans to earmark a budget or relaxation on trademark and copyright by artists and craftsmen and as per plan for tax exemption for craftsmen and related innovation by Muslims and minority youths?

There is a Part–II in the question of NMDFC. Is it true that in the 12th Five Year Plan, the total allocation made to NMDFC is only 62.9 per cent? Will the Government make it 100 per cent before the 12th Plan finishes? This is a very pointed question. But, hon. Madam, I am really shocked that the hon. Minister has

held a constitutional post. It is you who have accepted the question but not she. Thank you, Madam.

डॉ. नजमा ए. हेपतुल्ला: आपके दूसरे सवाल का मैं पहले जवाब देना चाहूंगी। जहां तक एन.एम.डी.एफ.सी. का सवाल है, एन.एम.डी.एफ.सी. की स्कीम 1994 से चल रही है। जब मैंने इस मंत्रालय का भार संभाला तो मुझे मालूम हुआ कि पिछले दो साल से, वह सरकार जो हमसे पहले थी, उनके मंत्री ने डिमांड की थी, चूंकि केन्द्र सरकार का अंश उनकी अंश पूंजी में खत्म हो गया था। 1500 करोड़ रुपये की उनकी प्राधिकृत शेयर पूंजी थी, यह पहली सारी स्कीमें स्टार्ट अप, स्टेंड अप इंडिया के पहले की बात बता रही हूं, मेरे मंत्रालय से जब मैं यह पहले कैबिनेट के पास लेकर गई तो दो मिनट भी नहीं लगे, प्रधानमंत्री ने और कैबिनेट ने 1500 करोड़ रुपये से 3000 करोड़ रुपये उसकी प्राधिकृत शेयर कैपीटल की। यह स्टार्ट अप और स्टेंड अप से पहले की मैं बात बता रही हूं कि एन.एम.डी.एफ.सी. के लिए दूसरी सरकार ने नहीं दिया, हमारी सरकार ने सबसे पहला यह काम किया। जो आपने सवाल पूछा है, स्टार्ट अप इंडिया का, इन्नोवेशन किसी भी विषय में हो, साइंस में हो, टैक्नोलोजी में हो, आर्ट में हो, कल्चर में हो, किसी चीज़ में भी इन्नोवेशन हो, हमारे देश ने दिशा दी है और यकीनन चाहे वे हमारे मुस्लिम आर्टीज़ंस हों, स्टार्ट अप के या दूसरे धर्म के हों, यहां हमारी सरकार धर्म की बुनियाद पर नहीं देखती है कि धर्म की बुनियाद पर किसी ने इन्नोवेशन किया।

मैं आपसे इसीलिए यह कह रही हूं कि अगर आप प्रेसिडेंट्स हाउस में उस एक्ज़ीबिशन को देखते और हमारे साइंस एण्ड टेक्नॉलोजी के मंत्री, जो वहां पर मौज़ूद थे, उनसे पूछते कि कितने मुसलमान बच्चों ने भी इन्नोवेशन किया था तो आपको इसके बारे में मालूम होता। मैं आपके प्रश्न के जवाब में उन्हें मुसलमान कह रही हूं। मगर, मुझे कहना चाहिए कि हिन्दुस्तान के बच्चों ने कितना इन्नोवेशन किया था।

डॉ. किरीट सोमैया : माननीय अध्यक्ष महोदया , मैं माननीय मंत्री जी से विनती करते हुए एक सवाल पूछना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र में भी करीब 15% माइनॉरिटीज हैं। उसमें जो युवा हैं, उनके लिए स्किल इंडिया मिनिस्ट्री, मुद्रा योजना, पब्लिक सेक्टर बैंक्स इत्यादि के साथ में एन.एम.डी.एफ.सी. का समन्वय करके उन्हें जो दिक्कतें आती हैं, वे जल्दी हल हो जाएं, क्या इसके लिए आप कुछ प्रयास करेंगी?

डॉ. नजमा ए. हेपतुल्ला : हमारे एम.पी. ने यह जो सवाल पूछा है, मुझे मालूम है कि उनकी कंस्टीट्युन्सी में काफी तादाद में मुस्लिम लोग रहते हैं। उन्हें आइडैंटिफाई करना पड़ता है। मेरे धर्मों के मंत्रालय में छः लोग आते हैं। हम एन.एम.डी.एफ.सी. के ज़रिए दो तरह के लोन देते हैं। एक, हम डेढ़ लाख रुपए तक का छोटा लोन देते हैं और दूसरा, हम बड़ा लोन तीस लाख रूपए देते हैं।

हमारे यहां लोन देने की प्रक्रिया है कि अर्बन एरिया में जिसकी इन्कम 1,03,000 रुपए तक हो, उन्हें हम लोन देते हैं और रूरल एरिया में जिसकी इन्कम 81,000 रुपए तक है, उन्हें हम यह लोन देते हैं, ताकि हम छोटे-छोटे लोगों के लिए, ग्रासरूट पर काम कर सकें। हमारी सरकार की धारणा अंत्योदय की है, कि बिल्कुल नीचे के स्तर पर जो लोग हैं, पहले उन्हें ऊपर लेकर आएं। एन.एम.डी.एफ.सी. के ज़रिए हम उनको लोन देते हैं। इसके पहले हम उनकी स्किलिंग करते हैं।

मैं हाउस और आपकी जानकारी के लिए कहना चाहती हूं कि जब से हमारी सरकार आई है, हम माइनॉरिटी के बच्चों को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तक़रीबन 35,000 बच्चे ट्रेन्ड हो रहे हैं और ट्रेनिंग की प्रोसेस में हैं। ये बच्चे जब ट्रेन्ड हो जाएंगे, तो हम इन्हें नौकरी प्रोवाइड करेंगे या इनको अपना कुछ कारोबार करने के लिए एन.एम.डी.एफ.सी. से लोन देंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि प्रधान मंत्री जी ने 'मुद्रा' योजना शुरू की है। 'प्रधान मंत्री जन धन योजना' के ज़रिए हम लोगों ने उनके एकाउंट्स खुलवाए। उसमें भी माइनॉरिटी के बच्चों ने लोन लिया है। 'मुद्रा बैंक' के जरिए भी उन्हें लोन मिल रहे हैं। हम अपने बच्चों को ट्रेन्ड कर रहे हैं। इसमें अभी तक मुझे कोई शिकायत नहीं आई है। अगर उन्हें लोन लेने में किसी किस्म की दिक्कत होगी तो उसमें हमारा मंत्रालय उनकी पूरी मदद करेगा।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: माननीय अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से हम माननीय महोदया जी से जानना चाहते हैं। इनसे मेरी वार्ता भी हुई है। यह एक सुनहरी योजना और सपने की तरह सामने आया है कि एस.सी., एस.टी. के स्वरोज़गार और इसमें महिलाओं को बढ़ावा देने की बात है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या सरकार इसे व्यापक बनाते हुए जो अल्पसंख्यक हैं, उन्हें और ओ.बी.सी. की महिलाओं को भी इसमें जोड़ने का विचार रखती है? खासकर, जो भागलपुर, बांका, बिहार शरीफ और अन्य इलाके हैं, वहां बड़े पैमाने पर हस्तकरघा उद्योग, बुनकर उद्योग बैंकों से ऋण के अभाव में बंद हो रहे हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी का इसके लिए पन्द्रह सूत्री कार्यक्रम भी है। क्या इसे उस योजना में जोड़ने का विचार है? क्या सरकार इस योजना में भागलपुर, बांका और बिहार शरीफ को विशेष स्थान देना चाहती है?

12.00 hours

डॉ. नजमा ए. हेपतुल्ला : माननीय स्पीकर साहिबा, आप भी महिला हैं, मैं भी महिला हूं। मैं हम दोनों की तरफ से और महिलाओं की तरफ से प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि इन्होंने जो स्टार्ट अप और स्टैंड अप, खास तौर पर स्टैंड अप की जो स्कीम इन्होंने बनाई है, इसमें एस.सी.,एस.टी. जो सबसे बैकवर्ड हैं और मुस्लिम औरतों को उसमें जोड़ा है, उसमें मुस्लिम औरतें भी शामिल हैं, वैसे ही यह स्कीम औरतों के लिहाज से उनके सशक्तीकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह चीज मुझे लगता है कि लोगों की

निगाह से निकल गई है कि 50 per cent population of this country is covered under that scheme in which every woman comes into it regardless of caste, creed and religion.

यहां कोई हमारी सरकार में विवाद नहीं होता है, जो सबसे ज्यादा पिछड़े हैं पिछड़ों में, एस.सी.,एस.टी. और खास तौर से महिलाएं सबसे पीछे हैं, चाहे वे मुसलमान महिलाएं हों, चाहे अपर कास्ट महिलाएं हों, महिलाएं सब पिछड़ी हुई हैं और उन महिलाओं को इस स्कीम में शामिल करके मैं समझती हूँ कि प्रधान मंत्री जी ने एक बहुत अच्छी शुरूआत की है। ...(व्यवधान) आप बांका की बात कर रहे हैं, मैं पूरे हिन्दुस्तान की बात कर रही हूँ कि पूरे हिन्दुस्तान में जहाँ भी गरीबी है, चाहे वह बुनकर हों या दूसरा भी कोई काम कर रहे हों, उससे वे कवर होते हैं और महिलाओं के जरिए, आपको मैं कहूँगी ओवैसी साहब कि आप ... * के नाम पर लोन ले सकते हैं। ...(व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी : मैडम, क्या कहा उन्होंने? ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कोई गलत बात नहीं कही है, आप चिन्ता न करें।

...(व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी : सवाल ... * का नहीं है। ...(व्यवधान) अगर मैं आपके शौहर के बारे में बोलना शुरू कर दूं, तो उसका क्या मतलब है? ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: She has not made any bad remark.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please take it lightly.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? प्लीज बैठिए।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

... (*Interruptions*)... *

HON. SPEAKER: Just take back your words.

... (*Interruptions*)

श्री असादुद्दीन ओवैसी: यह बात गलत है। मेरी ... * जिक्र क्यों होता है यहां पर?

---

* Not recorded.

डॉ. नजमा ए. हेपतुल्ला : ओवैसी साहब, नाराज मत होइए। मैंने ... * को बुरा नहीं कहा। ...(व्यवधान) No, let him understand. ... (*Interruptions*)

श्री असादुद्दीन ओवैसी : आप पर्सनल मत जाइए। आप और हम दूसरे पॉलिटिकल आइडियोलाजी के हैं, आप पर्सनल मत जाइए। ...(व्यवधान) आप इतनी सीनियर मेंबर हैं। ...(व्यवधान)

डॉ. नजमा ए. हेपतुल्ला : आप बात सुन लीजिए। मैंने आपकी वाइफ की शान में कोई गुस्ताखी नहीं की है। ...(व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी: कोई नहीं कर सकता है। ...(व्यवधान)

डॉ. नजमा ए. हेपतुल्ला : मैंने नहीं करी है। आप बात सुनिए। ...(व्यवधान) ओवैसी साहब मैंने यह कहा कि औरतें इसमें कवर्ड हैं। अगर आपकी ...* इसमें लोन लेना चाहती हैं तो वे ले सकती हैं। अगर नहीं तो ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Please do not make it an issue.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Hon. Members, I have received notices of Adjournment Motion ...

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Now, nothing will go on record.

... (*Interruptions*)... *

HON. SPEAKER: Do not make it an issue.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Hon. Members, I have received notices of Adjournment Motion from Shri Jai Prakash Narayan Yadav ...

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please sit down, Mr. Owaisi.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : अगर आपको पसन्द नहीं है, then we will delete all these things from the records. क्यों बढ़ाते हैं?

... (*Interruptions*)

---

* Not recorded.

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू) : मैडम, मेरा सुझाव है कि दोनों रेफरेंसेज रिकार्ड पर नहीं आएं। ठीक है, आगे बढ़िए।

HON. SPEAKER: We will delete all the references like this. Is it okay? Do not make such things.

... (*Interruptions*)

भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1468
उत्तर देने की तारीख : 19.12.2018

वक्फ बोर्ड भूमि का अवैध अंतरण

1468. डॉ. ए. सम्पतः

श्री ई.टी. मोहम्मद बशीरः

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वक्फ संपत्ति (बेदखल अनधिकृत व्यवसाय) के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या वक्फ बोर्ड की अचल संपत्ति के एक बड़े हिस्से को देश के विभिन्न भागों में अवैध रूप से अंतरित किया गया है, बेचा गया है, पट्टे पर दिया गया है और अतिक्रमण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा व्यक्तियों, सरकारी और निजी संस्थाओं, विभागों/संगठनों द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा की गई वक्फ भूमि को छुड़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री **(श्री मुख्तार अब्बास नकवी)**

(क): वक्फ संपत्ति (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) विधेयक, 2014 की जांच के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता पर स्थायी समिति के लिए संदर्भित किया गया था। समिति की रिपोर्ट संसद में रखी गई थी और इसकी सिफारिशें विचाराधीन हैं।

(ख) और (ग) वक्फ अधिनियम, 1995, यथासंशोधित, की धारा 32 के उपबंध के अनुसार किसी राज्य में सभी औकाफ का सामान्य अधीक्षण राज्य वक्फ बोर्ड में निहित होता है और संबंधित राज्य वक्फ बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है कि वक्फ संपत्तियों का उचित रख–रखाव, नियंत्रण एवं प्रशासन होता है। इसके अतिरिक्त, वक्फ अधिनियम की धारा 51(1ए) के अनुसार, किसी भी बिक्री, उपहार, विनिमय, बंधक या वक्फ संपत्ति के हस्तांतरण को 1 नवंबर, 2013 से शुरुआती रूप से अमान्य घोषित किया गया है। धारा 54 के प्रावधान के अनुसार, वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को वक्फ संपत्ति से अतिक्रमण को हटाने का अधिकार है। इस तरह के निष्कासन आम तौर पर राज्य सरकारी मशीनरी की मदद से किया जाता है। केंद्रीय वक्फ परिषद (सीडब्ल्यूसी) के पास उपलब्ध विभिन्न राज्य वक्फ बोर्डों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वक्फ संपत्तियों की राज्यवार संख्या जिन्हें अतिक्रमण का सामना करना पड़ रहा है, अनुलग्नक पर है।

(घ): संशोधित वक्फ अधिनियम, 1995 के अनुसार वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण से निपटने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अधिक शक्तियां देने के लिए उसमें जोड़े गए मुख्य उपबंधों में अन्य बातों के साथ–साथ ''अतिक्रमणकर्ता'' की कड़ी परिभाषा; राज्य सरकारों को सर्वेक्षण आयुक्त नियुक्त करने और वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण समयबद्ध तरीके से पूरे करने के लिए दिया गया अधिदेश; राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वक्फ बोर्डों के पूर्व अनुमोदन के बिना वक्फ संपत्तियों के अंतरण के लिए कठोर कारवास; वक्फ संपत्ति के अंतरण के अपराध को संज्ञेय और गैर–जमानती बनाना; किसी किरायेदार को बेदखल करने से संबंधित विवादों से निपटने के लिए विस्तारित क्षेत्राधिकार के साथ 3 सदस्यीय अधिकरण शामिल हैं। केन्द्र सरकार समय–समय पर राज्यों/राज्य वक्फ बोर्डों द्वारा वक्फ अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन की निगरानी एवं समीक्षा करती है।

अनुलग्नक

"वक्फ बोर्ड भूमि का अवैध अंतरण" विषय पर डॉ. ए. सम्पत और श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर द्वारा पूछे गए तथा दिनांक 19.12.2018 को उत्तर के लिए निर्धारित लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1468 के उत्तर के भाग (ग) में उल्लिखित अनुलग्नक।

वक्फ संपत्तियों की अतिक्रमण संख्या की राज्यवार स्थिति

क्र. सं.	वक्फ बोर्ड का नाम	निजी/सार्वजनिक द्वारा अतिक्रमण की गई वक्फ संपत्तियों की संख्या
1.	पंजाब वक्फ बोर्ड	5,610
2.	मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड	3,240
3.	पश्चिम बंगाल वक्फ बोर्ड	3,082
4.	तमिलनाडु राज्य वक्फ बोर्ड	1,335
5.	कर्नाटक राज्य वक्फ बोर्ड	862
6.	हरियाणा वक्फ बोर्ड	754
7.	हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड	503
8.	दिल्ली वक्फ बोर्ड	373
9.	छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड	200
10.	असम वक्फ बोर्ड	191
11.	बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड	181
12.	राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड	164
13.	मणिपुर राज्य वक्फ बोर्ड	137
14.	महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड	81
15.	बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड	58
16.	केरल राज्य वक्फ बोर्ड	29
17.	उत्तर प्रदेश सुन्नी केन्द्रीय वक्फ बोर्ड	12
18.	त्रिपुरा वक्फ बोर्ड	10
19.	ओडिशा वक्फ बोर्ड	7
20.	चंडीगढ़ वक्फ बोर्ड	6
21.	पुडुचेरी वक्फ बोर्ड	5
22.	झारखंड वक्फ बोर्ड	2
23.	अंडमान और निकोबार वक्फ बोर्ड	2
24.	उत्तराखंड वक्फ बोर्ड	119

*****

परिशिष्ट- बाईस

भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 589
उत्तर देने की तारीख : 06.02.2019

अल्पसंख्यकों हेतु विश्वविद्यालय

589. डॉ॰ जे॰ जयवर्धनः
श्री धनंजय महाडीकः
डॉ॰ हिना विजयकुमार गावीतः
श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकररावः
श्री राजीव सातवः
श्री पी॰आर॰ सुन्दरमः
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में वर्तमान में अल्पसंख्यकों के लिए विश्वविद्यालय विद्यमान हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऐसे विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उन्हें उच्चतर शिक्षा में जाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु अल्पसंख्यकों के लिए कुछ नए विश्वविद्यालयों की घोषणा की है;

(घ) यदि हां, तो विगत 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान घोषित किए गए और स्वीकृत किए गए ऐसे नए विश्वविद्यालयों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार और स्थान–वार संख्या कितनी है;

(ङ) केन्द्र सरकार को हरियाणा के मेवात जिले सहित देश के विभिन्न राज्यों से अल्पसंख्यकों हेतु विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इस पर राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री **(श्री मुख्तार अब्बास नकवी)**

(क) से (च): केंद्रीय रूप से अधिसूचित 06 अल्पसंख्यक समुदायों नामतः मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, जैन तथा पारसी के लिए विश्वविद्यालयों के संबंध में सूचना नोडल मंत्रालय अर्थात मानव संसाधन विकास मंत्रालय से एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

अल्पसंख्यकों हेतु कोई विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में कार्यरत सोसायटी, मौलाना आजाद राष्ट्रीय शिक्षा प्रतिष्ठान ने 29.12.2016 को आयोजित अपनी 52वीं बैठक में अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक विकास को सुग्राही बनाने के मद्देनजर देश के विभिन्न भागों में संस्थानों की स्थापना के लिए तौर–तरीकों पर विचार करने हेतु 11 सदस्यीय समिति का गठन किया था।

उक्त समिति ने 06.07.2017 को अपनी रिपोर्ट एमएईएफ को सौंप दी है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षिक संस्थानों के एक तीन स्तरीय मॉडल की सिफारिश की है जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगेः–

- निचले स्तर पर 211 केंद्रीय विद्यालय;
- मध्यम स्तर पर 25 सामुदायिक कालेज; और
- शीर्ष स्तर पर 5 राष्ट्रीय संस्थान।

परिशिष्ट - तेईस

भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3109

उत्तर देने की तारीख: 15.03.2021

अल्पसंख्यक विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति

†3109. एडवोकेट ए.एम. आरिफ:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अल्पसंख्यक विद्यार्थियों हेतु मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के दायरे में वृद्धि करने के लिए परिवार की आय सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख प्रति वर्ष करने के लिए कोई कदम उठाए हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का उक्त योजना के दायरे के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों के और विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए उक्त छात्रवृत्ति हेतु राज्य-वार कोटे में वृद्धि पर विचार करने का प्रस्ताव है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की उक्त छात्रवृत्ति की मासिक राशि को वर्तमान में 100 रूपए प्रतिमाह से बढ़ाकर कम से कम 200 रूपए प्रति माह करने की मंशा है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार को उक्त बिंदु पर केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है तथा यदि हां, तो इसकी स्थिति क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (ग) : अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने अवगत कराया है कि देश भर के सभी राज्यों में छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात बौद्ध, ईसाई, जैन, मुस्लिम, सिख और

जोरोस्ट्रियन (पारसी) से संबंधित छात्रों या लाभार्थियों के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को लागू करता है। सरकारी/ मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में कक्षा I से X तक पढ़ने वाले अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। न्यूनतम 30% छात्रवृत्तियां लड़कियों के लिए निर्धारित हैं। पात्र होने के लिए, छात्रों के माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और उसे पिछली कक्षा में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने चाहिए।

यह भी बताया गया है कि उपर्युक्त योजना के मौजूदा दिशानिर्देशों की 2021-22 से 2025-26 के दौरान लागू करने के लिए जांच की जा रही है और इसी समय अभिभावकों की वार्षिक आय, वार्षिक राज्य / संघ राज्य क्षेत्र कोटा और छात्रवृत्ति की दर के संशोधन सहित सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा।

(घ): अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में केरल राज्य सरकार से ऐसा कोई विशेष अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

*****

परिशिष्ट - चौबीस

भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1645
उत्तर देने की तारीख : 29.07.2021

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

1645. श्री एस. वेंकटेशनः
श्री असादुद्दीन ओवैसीः

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन देश में अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान रखने के लिए किया गया था;
(ख) उक्त आयोग में पदों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है;
(ग) आयोग में रिक्त पड़े पदों की संख्या कितनी है;
(घ) क्या आयोग में अध्यक्ष, सदस्यों आदि के पद रिक्त है;
(ङ) यदि हां, तो पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं और रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है;
(च) क्या माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि ये पद रिक्त क्यों हैं; और
(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दिल्ली उच्च न्यायालय की टिप्पणी पर सरकार द्वारा आयोग में रिक्त पदों को भरने के लिए उठाए गए अथवा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री मुख्तार अब्बास नकवी)

(क) सरकार द्वारा एनसीएम अधिनियम, 1992 के अनुसार अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीएम) की स्थापना की गई है ताकि (क) संघ और राज्यों के तहत अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन किया जा सके; (ख) संविधान और संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा अधिनियमित कानूनों में प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों के कामकाज की निगरानी की जा सके; (ग) केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें की जा सके; (घ) अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों को देखना और ऐसे मामलों को उपयुक्त अधिकारियों के साथ उठाया की जा सके; (ङ) अल्पसंख्यकों के प्रति किसी भी प्रकार के भेदभाव से उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन करवाया जा सके और उन्हें दूर करने के उपायों की सिफारिश की जा सके; (च) अल्पसंख्यकों के सामाजिक–आर्थिक और शैक्षिक विकास से संबंधित मुद्दों पर अध्ययन, अनुसंधान और विश्लेषण किया जा सके; (छ) केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा किसी अल्पसंख्यक के संबंध में उठाए जाने वाले उचित उपाय सुझाए जा सके; (ज) अल्पसंख्यकों से संबंधित किसी भी मामले और विशेष रूप से उनके सामने आने वाली कठिनाइयों पर केंद्र सरकार

को समय–समय पर या विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकें; और (झ) कोई अन्य मामला जो केंद्र सरकार द्वारा उसे भेजा जा सके।

(ख) से (घ): एनसीएम में पदों की कुल स्वीकृत संख्या 86 है और वर्तमान में 49 पद खाली पड़े हैं जिनमें अध्यक्ष का एक पद और सदस्यों के पांच पद शामिल हैं जोकि कोविड महामारी के दौरान रिक्त है।

(ङ) से (च) : पद रिक्त होना और उक्त पदों को भरना एक सतत प्रक्रिया है और यह संबंधित पद के भर्ती नियमों/प्रावधानों और सरकार की नीतियों के अनुसार किया जाता है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने डब्ल्यू.पी.(सी) 1985/2021 के मामले में निदेश दिया है कि आयोग में सभी रिक्त पदों का नामांकन 31 जुलाई, 2021 को या उससे पहले भरा जाए। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्देश सरकार के विचाराधीन है।

*****

परिशिष्ट - पच्चीस

कार्यवाही सारांश

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

(2021-2022)

(सत्रहवीं लोकसभा)

दसवीं बैठक

(04.07.2022)

समिति की बैठक 1500 बजे से 1600 बजे तक समिति कक्ष सं. 'सी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री राजेन्द्र अग्रवाल - **सभापति**

सदस्य

2. श्री रमेश चन्द्र कौशिक
3. श्री कौशलेन्द्र कुमार
4. श्री अशोक महादेवराव नेते
5. श्री एम.के. राघवन
6. श्री चंद्र शेखर साहू

सचिवालय

1. श्री जे.एम. बैसाख - संयुक्त सचिव
2. डॉ (श्रीमती) सागरिका दास - निदेशक
3. श्री के.सी. पांडे - उप सचिव

साक्षी

<u>अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय</u>

1. सुश्री रेणुका कुमार, सचिव
2. सुश्री निगार फातिमा हुसैन, संयुक्त सचिव

3. श्री मोहम्मद शादान जेब खान, सचिव, केंद्रीय वक्फ परिषद
4. श्री निजमुद्दीन, निदेशक
5. श्री एस.पी.एस. तेवतिया, उप सचिव
6. श्री ध्रुव चक्रवर्ती, उप सचिव
7. श्री सुरेश यादव, अपर सचिव

<u>शिक्षा मंत्रालय (उच्च शिक्षा विभाग)</u>

1. श्री मृत्युंजय बेहरा, आर्थिक सलाहकार

<u>संसदीय कार्य मंत्रालय</u>

1. श्री पी. के. हलदर - अपर सचिव

सर्वप्रथम, सभापति महोदय ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें अवगत कराया कि यह बैठक (i) 03 मसौदा प्रतिवेदनों पर विचार करने और उन्हें स्वीकार करने के लिए बैठक बुलाई गई है; (ii) 22 लंबित आश्वासनों को छोड़ने हेतु विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों से प्राप्त अनुरोधों वाले 20 ज्ञापनों पर विचार करने; और (iii) लंबित आश्वासनों के संबंध में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लेने के लिए बुलायी गई है।

2. **XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXX**

3. **XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXX**

4. **XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXX**

5. तत्पश्चात्, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों को बुलाया गया। समिति की बैठक में साक्षियों का स्वागत करते हुए सभापति ने उनका ध्यान बैठक की गोपनीयता बनाए रखने की तरफ आकर्षित किया और कहा कि समिति के विचार विमर्श की जानकारी तब तक किसी को न दे जब तक प्रतिवेदन को सभा में प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता है। इसके बाद समिति ने लंबित आश्वासनों के संबंध में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया। मंत्रालय के बड़ी संख्या में आश्वासनों के लंबे समय से लंबित रहने को ध्यान में रखते हुए सभापति ने प्रतिनिधियों से मंत्रालय के

लंबित आश्वासनों के बारे में और साथ ही मंत्रालय में लंबित आश्वासनों की निगरानी और समीक्षा संबंधी आंतरिक तंत्र की जानकारी भी मांगी।

6. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव ने लंबित आश्वासनों के कार्यान्वयन की समीक्षा बैठक के बारे में समिति को जानकारी दी। सभापति ने मंत्रालय के प्रतिनिधियों से लंबित आश्वासनों की निगरानी संबंधी अपनी समीक्षा बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करने को कहा।

7. तत्पश्चात, सदस्यों ने लंबित आश्वासनों के संबंध में कई प्रश्न पूछे और स्पष्टीकरण मांगे। साक्षियों ने इन प्रश्नों के उत्तर और साथ ही स्पष्टीकरण भी दिए। चूंकि कुछ प्रश्नों के लिए विभिन्न क्षेत्रों से विस्तृत उत्तर और जानकारी की आवश्यकता थी, इसलिए सभापति ने इनके संबंध में साक्षियों से समय से लिखित उत्तर प्रस्तुत करने के लिए कहा।

8. सभापति ने साक्षियों को समिति के समक्ष साक्ष्य देने और उनके द्वारा उठाए गए प्रश्नों और मांगे गए स्पष्टीकरणों के बारे में आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद दिया।

तत्पश्चात् साक्षी चले गए।

कार्यवाही का शब्दशः रिकार्ड रखा गया है।
तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित की गई।

अनुबंध

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-2022) लोकसभा

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित लंबित/कार्यान्वित आश्वासनों का ब्यौरा जिनपर 04.07.2022 को मौखिक साक्ष्य के दौरान चर्चा की गई-

क्रम सं.	ता.प्र.सं. /अता.प्र.सं. दिनांक	विषय
1	अता.प्र.सं. 168 दिनांक 02.07.2009	समान अवसर आयोग (परिशिष्ट-II)
2	अता.प्र.सं. 533 दिनांक 23.11.2009	समान अवसर आयोग (परिशिष्ट-III)
3	अता.प्र.सं. 4559 दिनांक 17.12.2009	समान अवसर आयोग (परिशिष्ट-IV)
4	अता.प्र.सं. 1196 दिनांक 02.08.2010	समान अवसर संबंधी आयोग का गठन (परिशिष्ट-V)
5	अता.प्र.सं. 3017 दिनांक 12.08.2010	समान अवसर आयोग (परिशिष्ट-VI)
6	अता.प्र.सं. 5018 दिनांक 09.12.2010	समान अवसर आयोग (परिशिष्ट-VII)
7	अता.प्र.सं. 2764 दिनांक 18.08.2011	समान अवसर संबंधी आयोग का गठन (परिशिष्ट-VIII)
8	अता.प्र.सं. 6864 दिनांक 17.05.2012	समान अवसर आयोग की स्थापना (परिशिष्ट-IX)
9	अता.प्र.सं. 4161 दिनांक 06.09.2012	नए आयोगों की नियुक्ति (परिशिष्ट-X)
10	अता.प्र.सं. 4348 दिनांक 06.09.2012	सच्चर समिति की सिफ़ारिशों का क्रियान्वयन (परिशिष्ट-XI)

11	अता.प्र.सं. 1653 दिनांक 07.03.2013	समान अवसर संबंधी आयोग की स्थापना (परिशिष्ट-XII)
12	ता.प्र.सं. 346 दिनांक 21.03.2013	अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव (परिशिष्ट-XIII)
13	अता.प्र.सं.3093 दिनांक 29.08.2013	ईओसी की स्थापना (परिशिष्ट-XIV)
14	अता.प्र.सं. 220 दिनांक 05.12.2013	ईओसी की स्थापना (परिशिष्ट-XV)
15	अता.प्र.सं. 1170 दिनांक 12.12.2013	वंचित व्यक्ति (परिशिष्ट-XVI)
16	अता.प्र.सं. 440 दिनांक 25.02.2015	समान अवसर आयोग (परिशिष्ट-XVII)
17	ता.प्र.सं. 535 दिनांक 04.04.2018	सच्चर समिति (परिशिष्ट-XVIII)
18	अता.प्र.सं. 4093 दिनांक 17.12.2014	अल्पसंख्यक समुदायों हेतु शिक्षा योजनाएं (परिशिष्ट-XIX)
19	ता.प्र.सं. 45 दिनांक 27.04.2016	स्टार्ट अप इंडिया स्टैंड अप इंडिया (परिशिष्ट-XX)
20	अता.प्र.सं. 1468 दिनांक 19.12.2018	वक्फ बोर्ड भूमि का अवैध अंतरण (परिशिष्ट-XXI)
21	अता.प्र.सं. 589 दिनांक 06.02.2019	अल्पसंख्यकों हेतु विश्वविद्यालय (परिशिष्ट-XXII)
22	अता.प्र.सं. 3109 दिनांक 15.03.2021	अल्पसंख्यक विद्यार्थियों हेतु छात्रवृति (परिशिष्ट-XXIII)
23	अता.प्र.सं. 1645 दिनांक 29.07.2021	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (परिशिष्ट-XXIV)

कार्यवाही सारांश

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

(2022-2023)

(सत्रहवीं लोक सभा)

चौथी बैठक

(07.02.2023)

समिति की बैठक 1500 बजे से 1530 बजे तक कमरा संख्या 216 (सभापति कक्ष), 'बी' ब्लॉक, संसदीय सौध विस्तार भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री राजेन्द्र अग्रवाल - सभापति

सदस्य

2. श्री निहाल चंद चौहान
3. श्री खगेन मुर्मु
4. श्री अशोक महादेवराव नेते
5. श्री संतोष पान्डेय
6. श्री श्री चंद्र शेखर साहू

सचिवालय

1.	श्री जे.एम. बैसाख	- संयुक्त सचिव
2.	डॉ. (श्रीमती) सागरिका दास	- निदेशक
3.	श्री महेश चन्द गुप्ता	- उप सचिव
4.	श्रीमती विनीता सचदेव	- अवर सचिव

सर्वप्रथम, सभापति महोदय ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हे उस दिन की कार्यसूची से अवगत कराया। तत्पश्चात्, समिति ने निम्नलिखित चार (04) प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार किया और इन्हे बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया:-

(एक) 'अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा' विषय से संबंधित प्रारूप उनासीवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा);

(दो) 'रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा' विषय से संबंधित प्रारूप अस्सीवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा);

(तीन) 'आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोध (स्वीकार किये गये)' विषय से संबंधित प्रारूप इक्यासीवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा); और

(चार) 'आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोध (स्वीकार नहीं किए गए)' विषय से संबंधित प्रारूप बयासीवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।

2. समिति ने माननीय सभापति को चालू सत्र के दौरान प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

परिशिष्ट - सत्ताईस

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति* (2021-2022)

की संरचना

श्री राजेन्द्र अग्रवाल - सभापति

सदस्य

2. प्रो. सौगत राय**
3. श्री निहाल चन्द चौहान
4. श्री गौरव गोगोई
5. श्री नलीन कुमार कटील
6. श्री रमेश चन्द्र कौशिक
7. श्री कौशलेन्द्र कुमार
8. श्री अशोक महादेवराव नेते
9. श्री संतोष पान्डेय
10. श्री एम.के.राघवन
11. श्री चंद्र शेखर साहू
12. डॉ. भारतीबेन डी. श्याल
13. श्री इंद्रा हांग सुब्बा
14. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले
15. रिक्त

सचिवालय

1. श्री जे.एम. बैसाख - संयुक्त सचिव
2. डॉ सागरिका दास - निदेशक
3. श्री कृष्ण सी. पाण्डेय - उप सचिव
4. श्रीमती विनीता सचदेव - अवर सचिव

---

*समिति का गठन 09 अक्तूबर, 2021 से किया गया है, देखिए दिनांक 18 अक्तूबर, 2021 के लोक सभा समाचार भाग - दो का पैरा सं. 3202

**श्री सुदीप बन्दोपाध्याय के दिनांक 01 जून, 2022 को त्याग पत्र देने के कारण समिति में नामनिर्दिष्ट किया गया, देखिए दिनांक 06 जून, 2022 के लोक सभा समाचार भाग - दो का पैरा सं. 4711